परियोजना प्रगति पंजक

अगस्त 2014 से दिसंबर 2015
AUGUST 2014-DEC 2015

सुरक्षित शहर के लिये एक पहल– एम पी यू आई आई पी का कार्यक्रम

संक्षेपण

संक्षेपण	पूर्ण शब्दावली
बी जी एम एस	भारतीय ग्रामीण महिला संघ
सी सी टी	सिटी क्लस्टर टीम
सी एस ए	सिटी सपोर्ट एजेंसी
डी एफ आई डी	डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट
एफ एल	फायनेंसियल लिट्रेसी
के पी आई	की परफार्मेंस इंडीकेटर
एम पी यू आई पी	मध्यप्रदेश अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रुवमेंट प्रोग्राम
एम एफ जी	माईक्रो फायनेंस ग्रुप
पहल	पहल जन सहयोग विकास संस्थान
एस एच जी	सेल्फ हेल्प ग्रुप
यू एल बी	अरबन लोकल बॉडी
वॉव	वायलेंस अगेन्स्ट वीमेन
डब्ल्यू ए वी	वूमेन अफेक्टेड बाई वायलेंस

पृष्ठभूमि

सुरक्षा,एक संरक्षण की भावना है ,जो रोजमर्रा के आपाधापी में अचानक और नुकसानदेह व्यवधानों के बावजुद सुरक्षा और सतत गतिशीलता के लिये प्रोत्साहित करती है। व्यापक तौर पर हिंसा, कमजोर और वंचित समूह को सबसे अधिक प्रभावित करती है। अक्सर महिलाओं और लड़कियों को आसान शिकार के रूप में देखा जाता है। सुरक्षितता के अहसास की धारणा कई स्तरों पर संचालित होती और कई तरह के व्यवहार को बढ़ावा देती है। कोई भी शहर अचानक सुरक्षित नहीं बन सकता बल्कि कई दशक के बाद आये परिवर्तनों और निरंतर निवेश के साथ ही लोगों की सुरक्षा की भावना को बढ़ाने वाली योजना और संरचना के जरिये ही बढ़ाया जा सकता है। इसलिये **सुरक्षित शहर**,एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य अपराध को कम करना और समुदाय को सुरक्षित स्थान पर रहने, काम करने व व्यवहार में बदलाव लाने के लिये जागरूक करने का प्रयास करना है।

आंकडों में सुरक्षित होने का मतलब वास्तव में सुरक्षित होने का अहसास नहीं है।

शहर, आजकल बढ़ती हिंसा और अपराधिक गतिविधियों का केंद्र बन गये हैं। इंदौर, हत्या,बलात्कार,दहेज हत्या,बाल यौन शोषण व अपहरण की घटनाओं के मामलों में पिछले 5 साल में अधिकतम आंकड़ों के साथ मध्यप्रदेश के सभी जिलों में शिखर पर है। यह राज्य के आपराधिक राजधानी के तौर पर जाना जाने लगा है क्योंकि इंदौर का रिकार्ड महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में भी अधिकतम है। जीवन की बेहतर गुणवत्ता के सकारात्मक सूचकांकों के बावजूद ,इंदौर महिलाओं के खिलाफ हिंसा व बाल यौन शोषण के मामलों में उच्चतम स्थान पर है।

सुरक्षित शहर के लिये एक पहल - एम.पी.यू.आई.पी.की परियोजना (डी एफ आई डी समर्थित)

सुरक्षित शहर के लिये एक पहल कार्यक्रम का लक्ष्य हिंसा व हिंसा के डर, दोनों को कम करना है। कार्यक्रम के तहत हिंसा की वास्तविक घटनाओं पर रोक लगाना नाकाफी मानते हुए महिलाओं व लड़कियों को हिंसा व इसके डर से छुटकारा मिल सके इसे भी सुनिश्चित करने पर केन्द्रित किया गया। जब तक महिलाएं सार्वजनिक स्थानों व घर के भीतर हिंसा से सुरक्षित नहीं होंगी तब तक वे भयभीत होंगी और शहर में रहते हुए भी निर्वासित जीवन व्यतीत करेंगी। इसलिये कई बार महिलाओं का डर सीधे आसपास घट रही घटनाओं के अनुरूप न होते हुए भी उनका परिणाम एक सा होता है। इसीलिये एक महिला पर, होने वाली हिंसा का असर समस्त महिलाओं पर होता है। क्योंकि लिंगभेद के चलते सभी महिलाओं के हिंसा का शिकार बनने की संभावना होती ही है। और हिंसा का यह डर, लैंगिक भूमिका के रूप में एक महिला से दूसरे तक स्थानांनरित होता है।

सुरक्षित शहर के लिये एक पहल परियोजना एक क्रियामूलक अनुसंधान है जो कि महिलाओं व लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा के प्रसार व खतरे को कम करने वाली बचाव की प्राथमिक रणनीतियों के प्रभावकारिता का आंकलन करती है।यह अद्वितीय कार्यक्रम एम.पी.यू.आई.आई.पी. की एक पहल है जो कि मध्यप्रदेश सरकार एवं डी.एफ.आई.डी.की साझेदारी में म. प्र. के चार शहरों भोपाल, इन्दौर, जबलपूर एवं ग्वालियर में क्रियान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य शहरी संदर्भ में घरेलू व बाहरी, दोनों ही स्थानों पर महिलाओं व लड़कियों के द्वारा अनुभव किये गये हिंसा की घटनाओं व डर के बोध को कम करना है। क्रियामूलक अनुसंधान आधारित कार्यक्रम होने के नाते, इसका लक्ष्य हस्तक्षेप के बल पर साक्ष्य का ढांचा तैयार करना तथा घटनाओं व डर के बोध को कम करने में इसकी प्रभावशीलता का आंकलन करना है ताकि भविष्य में इस असरकारक रणनीति को बढ़ाया जा सके।

इस प्रगति पत्रक को पढ़ते समय यह याद रखना बेहद जरूरी है कि समुदाय स्तर की गतिविधियां 2014 के अंत में चुनावी आचार संहिता की वजह से बाधित हुईं। जिससे परियोजना का वास्तविक क्रिवान्वयन समय केवल 13 माह ही रह गया। चुंकि कार्यक्रम का आरंभ व अंत दोनों ही तय था अतः इतने कम समय में लंबी अवधि का प्रभाव/परिणाम देख पाना संभव नहीं था, खासतौर पर वैचारिक बदलाव की दृष्टि से परिवर्तन के लिये समयावधि बेहद कम था।

''**सुरक्षित शहर के लिये एक पहल**'' परियोजना के क्रियान्वयन के लिये शहरी सहयोगी संस्था के साथ **नगर पालिक निगम इंदौर** नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करेगा। इंदौर में जमीनी स्तर पर परियोजना के क्रियान्वयन के लिये सितंबर 2014 में **बी.जी.एम.एस.** व **पहल जन सहयोग विकास संस्थान** के साथ अनुबंध किया गया।

बी.जी.एम.एस. व पहल के संघ (कंसोरटियम) का संक्षिप्त परिचय

भारतीय ग्रामीण महिला संघ (बी.जी.एम.एस.) लीड संस्थान व **पहल जन सहयोग विकास संस्थान** (पहल) सहयोगी संस्था के रूप में साझेदारी करते हुए ''**सुरक्षित शहर के लिये एक पहल**'' परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य किया। इस संघ में जहां **बी.जी.एम.एस.** ने अपने कार्मिक दक्षता के मुताबिक स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका से संबधित सभी कार्यों के क्रियान्यवयन ,निगरानी व मूल्यांकन में प्रमुखता से भागीदारी किया। तो **पहल** संस्था ने विषय विशेषज्ञता के अनुरुप महिला हिंसा व जेन्डर के समस्त गतिविधियों के क्रियान्यवयन ,निगरानी व मूल्यांकन में प्रमुखता से जिम्मेदारी निभाई। इसके साथ ही दोनों संस्थाओं ने पूरे कार्यक्रम के लिये बराबरी से जिम्मेदारी लेते हुए सक्रिय समन्वयता के साथ अंतिम परिणाम को प्राप्त करने में सहभागिता प्रदर्शित की।

जमीनी स्तर पर कार्यक्रम के आरंभ से पहले ही महिला समूहों व युवा समूह के सदस्यों का चयन तथा बेसलाईन सर्वेक्षण का कार्य **न्यू कांसेप्ट एजेंसी** द्वारा किया जा चुका था।

बुनियादी आंकड़ों का अद्यतन व केन्द्रित समूह चर्चा समाप्त होते ही अक्टूबर 2014 में बस्तियों में गतिविधियों का क्रियान्वयन आरंभ करके कार्यक्रम की नींव रखी गयी।

''सुरक्षित शहर के लिये एक पहल'' परियोजना के तहत हस्तक्षेप समूह

उत्थान के तहत '**सुरक्षित शहर के लिये एक पहल**' कार्यक्रम में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करने के उद्देश्य के साथ 4 हस्तक्षेप के माध्यम से कार्यक्रम का संचालन किया गया। ये हस्तक्षेप हैं –

हस्तक्षेप 1	**महिलाओं व लड़कियों का आर्थिक सशक्तीकरण**
हस्तक्षेप 2	**महिला हिंसा की समाप्ति हेतु स्वसहायता समूहों का क्षमता निर्माण व संवर्धन**
हस्तक्षेप 3	**सामाजिक मानदण्ड में बदलाव लड़कों व पुरूषों के साथ काम**
हस्तक्षेप 4	**नीतिगत भागीदारी के द्वारा विभिन्न विभागों में आपसी समन्वयन को बढ़ावा देना**

ये सभी चारों हस्तक्षेप के तहत निर्धारित गतिविधियों में समुदाय के क्षमता निर्माण हेतु मानक प्रशिक्षण, नियमित बैठकें तथा अन्य गतिविधियां निर्धारित किये गये थे।

समुदाय स्तरीय हस्तक्षेप 1 : महिलाओं व लड़कियों का सशक्तीकरण

इस हस्तक्षेप का विशिष्ट उद्देश्य स्थायी स्व सहायता समूहों की रचना करना था ताकि इसके सदस्यों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही यह भी सोचा गया कि महिलाओं की आर्थिक सक्षमता परिवार के भीतर हिंसा से लड़ने की उनकी ताकत में भी इजाफा करेगी। इस हस्तक्षेप में सामाजिक लिंगभेद के मुद्दे पर चर्चा तथा घरेलू निर्णयों में उनकी भूमिका बढ़ाने हेतु क्षमता विकास भी किया गया।

हस्तक्षेप 2 : महिला हिंसा की समाप्ति हेतु स्वसहायता समूहों का क्षमता निर्माण व संवर्धन

इस हस्तक्षेप में सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए सांगठनिक एकजुटता को बढाते हुए सामूहिक कार्रवाई के लिये मंच उपलब्ध कराने तथा महिला हिंसा को रोकने के लिये कार्यरत विभागों व संस्थाओं से संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य के साथ काम किया गया। चयनित स्व सहायता समूहों को बस्ती में मुद्दे के प्रचार एवं हिंसा की रोकथाम हेतु बचाव व प्रतिक्रिया के मुख्य कारक के तौर पर प्रशिक्षत किया गया।

हस्तक्षेप 3 :सामाजिक मानददण्डों को बदलने हेतु लड़कों व पुरूषों के साथ कार्य

इस हस्तक्षेप का लक्ष्य बस्ती के युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने व समुदाय में जेंडर समानता के अभ्यास व व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिये तैयार करना है।

हस्तक्षेप 4 : नीतिगत भागीदारी के द्वारा विभिन्न विभागों में आपसी समन्वयन को बढ़ावा देना

इस हस्तक्षेप का उद्देश्य महिला हिंसा की रोकथाम के लिये शहरी स्थानीय निकाय की क्षमता वृद्धि करना है। स्थानीय संस्थाओं के साथ जुड़ाव बनाते हुए जेंडर समानता को नीतिगत स्तर मुख्यधारा में शामिल करने पर बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था।

बस्ती का विवरण

नगर पालिक निगम इंदौर एम० पी० यू० आई० आई० पी० ,सुरक्षित शहर के लिए एक पहल० परियोजना के अंतर्गत हस्तक्षेप वार विवरण

बस्ती का नाम	वार्ड सं०	बस्ती का नाम	वार्ड सं०	बस्ती का नाम	वार्ड सं०	बस्ती का नाम	वार्ड सं०	बस्ती का नाम	वार्ड सं०	बस्ती का नाम	वार्ड सं०
श्रेणी 1 : पुरूषों के साथ जीवन कौशल		श्रेणी 2 : स्व सहायता समूह संवर्धनीकरण		श्रेणी 3 : स्व सहायता समूह संवर्धनीकरण तथा पुरूषों के साथ जीवन कौशल		श्रेणी 4 : स्व सहायता समूह संवर्धनीकरण तथा महिलाओं के खिलाफ हिंसा		श्रेणी 5 : स्व सहायता समूह संवर्धनीकरण तथा पुरूषों के साथ जीवन कौशल,महिलाओं के खिलाफ हिंसा		श्रेणी 6 : नियंत्रित बस्तियां	
हीना पैलेस	42	गौहर नगर	42	मारूति नगर	22	बाबा मंसब नगर	42	अमन नगर	42	जीत नगर	56
बजरंग नगर	1	फिरदोस नगर	51	भोलेनाथ कालोनी	3	अवंतिका नगर	18	भील पल्टन	49	उद्योग नगर	50
गुरू नगर	41	मुराई मोहल्ला	65	अशरफी नगर	42	अमर टेकरी	28	गणेश धाम	22	मोमिनपुरा	42
कबीट खेडी	38	घनश्याम दास नगर	55	जगदीश नगर	21	शिव बाग	40	राम नगर	21	जनकपुरी	34
प्रिन्स नगर	21	श्रद्धा सबुरी	69	राखी नगर	21	गान्धी ग्राम	42	ईश्वर नगर	35	आदर्श गणेश धाम	22
हम्माल कालोनी	17	शान्ती नगर	22	शिव नगर, बाणगंगा	21	ब्रम्ह बाग	17	पुष्प नगर	19	शिव नगर	50
नई बस्ती पिपलिया राव	56	ईस्ट एकता नगर	49	चौधरी पार्क	50	छोटी कुम्हार खेड़ी	17	मां भगवती नगर	50	सोनिया गांधी नगर	56
गड़रिया मोहल्ला	6	शिव शक्ति नगर	23	एकता नगर	56	अमर पैलेस	57	सूर्यदेव नगर	61	दौलत बाग	42
तपेश्वरी बाग	40	छापरी	57	गणगौर नगर	57	बजरंग पूरा	22	माली मोहल्ला	26	राहूल गांधी नगर	38
देवश्री बाग	23	बड़ला	42	शोहराब कालोनी	42	नट कालोनी	69	नरवल काकड़	22	धीरज नगर	42
गंगा बाग	21							सोमनाथ की चाल	31		

हस्तक्षेपवार बस्ती समूह

क्र	श्रेणी	बस्तियों की संख्या	हस्तक्षेप / गतिविधि
0	नियंत्रित	10	इन बस्तियों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
1	युवाओं के साथ जीवन कौशल	11	इन बस्तियों में लड़कों/पुरूषों का 1 समूह/बस्ती होगा जिन्हें जीवन कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
2	स्व सहायता समूह संवर्धन	11	इन बस्तियों में महिलाओं का 2 स्व सहायता समूह/बस्ती होगा जिन्हें विकासात्मक गतिविधियों में शामिल किया जाएगा।
3	स्व सहायता समूह संवर्धन+ युवाओं के साथ जीवन कौशल	10	इन बस्तियों में महिलाओं का 2 स्व सहायता समूह/बस्ती होगा जिन्हें विकासात्मक गतिविधियों में तथा लड़कों/पुरूषों का 1 समूह /बस्ती जीवन कौशल का प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा।
4	स्व सहायता समूह संवर्धन+ महिलाओं के खिलाफ हिंसा	10	इन बस्तियों में महिलाओं का 2 स्व सहायता समूह/बस्ती होगा जिन्हें विकासात्मक गतिविधियों के साथ-साथ महिला हिंसा को रोकने व कानूनी प्रसार के लिये तैयार किया जाएगा।
5	स्व सहायता समूह संवर्धन+युवाओं के साथ जीवन कौशल +महिलाओं के खिलाफ हिंसा	11	इन बस्तियों में महिलाओं का 2 स्व सहायता समूह/बस्ती होगा जिन्हें विकासात्मक गतिविधियों के साथ-साथ महिला हिंसा को रोकने व कानूनी प्रसार के लिये तैयार किया जाएगा। तथा लड़कों/पुरूषों का 1 समूह /बस्ती जीवन कौशल का प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा।
	कुल	63	कुल हस्तक्षेप योग्य बस्तियां 53

लागफ्रेम के संकेतांकों का सारांश

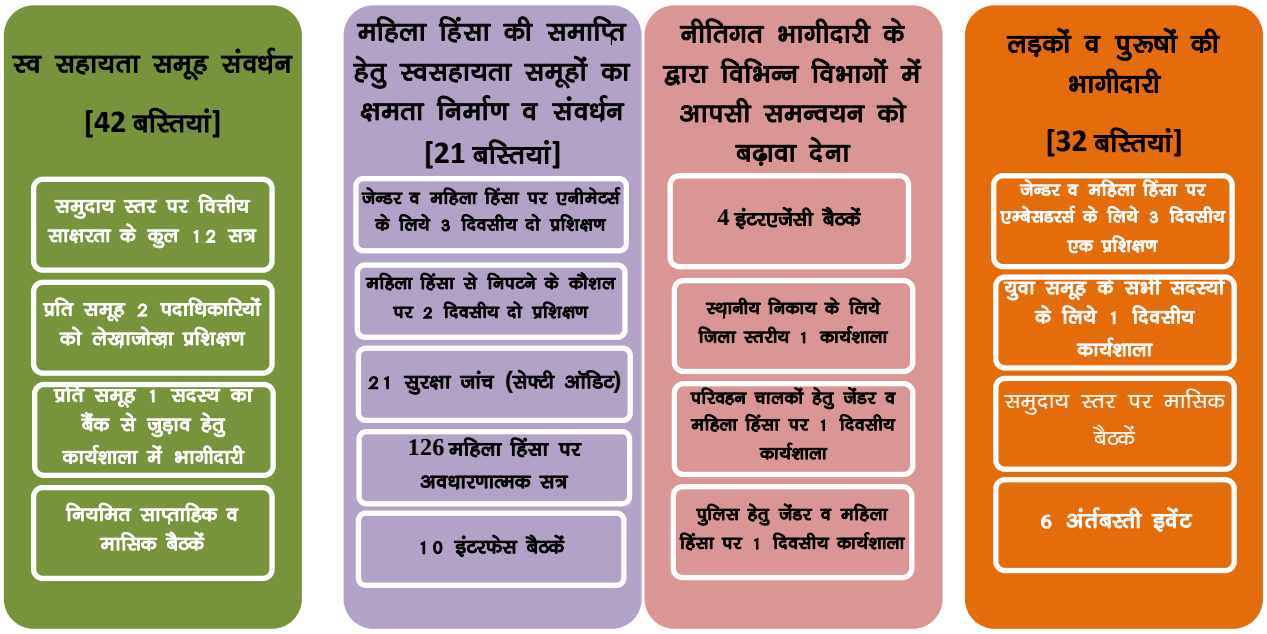

ये गतिविधियां सभी विशिष्ट बस्तियों में हस्तक्षेप के अनुरूप क्रियान्वित किये गये।

शरूआती दौर

अ.कार्यालय की स्थापना एवं सामुदायिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति सितंबर 2014

'सुरक्षित शहर के लिये एक पहल' परियोजना का कार्यालय124, पालिका प्लाजा, एम टी एच कंपाउंड में आरंभ किया गया। जहां सिटी सपोर्ट एजेन्सी द्वारा आवश्यक फर्नीचर व कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था की गई। यह सितंबर 2014 से क्रियाशील है। कार्यालय की स्थापना के पश्चात बस्तियों में कार्य करने हेतु क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की नियुक्ति एक सशक्त चयन प्रक्रिया से की गई। पहले चरण में प्राप्त आवेदनों की छंटनी कर संभावित योग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया। इसके पश्चात इन चयनित सूची के उम्मीदवारों का साक्षात्कार कर सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई। परियोजना में पदस्थ कार्यकर्ताओं की सूची रिपोर्ट के अंत में संलग्न है।

ब. सिटी सपोर्ट एजेन्सी का परियोजना उन्मुखीकरण

6 सितंबर 2014 को सिटी क्लस्टर टीम एवं नोडल अधिकारी द्वारा परियोजना की शुरूआत में जीवन ज्योति राऊ में तथा 11 सितंबर को पालिका प्लाज़ा में एम एस यू भोपाल द्वारा उन्मुखीकरण किया गया। टीम को परियोजना का विस्तृत परिचय,जांच के संकेतांक,रिपोर्टिंग पत्रक, वित्तीय साक्षरता व कार्ययोजना से परिचित कराया गया। इसी के साथ क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को उनके कार्यक्षेत्र का आबंटन किया गया । सभी सदस्यों को क्षेत्र में जानकारियों को अद्यतन (अपडेशन) करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझातें हुए प्रत्येक फील्ड स्टाफ को महिला समूह एवं युवा समूह की जानकारियों के अद्यतन हेतु बस्तियों की सूची आबंटित की गई। साथ ही 10 सितंबर को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण के 12 सत्रों का उन्मुखीकरण किया गया जिसका उपयोग कुल 42 बस्तियों के 84 महिला समूहों के साथ किया जाना था।

स. आजीविका संबंधित मुद्दों पर उन्मुखीकरण

13 नवंबर 2014 को आजीविका विशेषज्ञ श्री शहजाद के द्वारा सी एस एजेंसी के सदस्यों के लिये बैठक रखी गई। बैठक में उन्होंने समूह के संवर्धन, आजीविका संबंधित गतिविधियों, बैंक से जुड़ाव एवं ग्रेडिंग आदि की जानकारी प्रदान की।

द.राष्ट्रीय..कार्यशाला

भोपाल में 18 सितंबर 2014 को एम.एस.यू. के द्वारा सुरक्षित 'शहर के लिये पहल के तहत एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डी एफ आई डी समर्थित महिला हिंसा से बचाव के लिये बिहार व मध्यप्रदेश में किये जा रहे प्रयासों को साझा किया गया। 'शराब व नशा से हिंसा के संबंध पर किये जा रहे अध्ययन को भी यहां साझा किया गया। इंदौर के विशेषज्ञों ने भी इस कार्यशाला में शिरकत की।

इ. कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण कानून पर कार्यशाला 26जी सितंबर 2014

सुरक्षित शहर के लिये पहल कार्यक्रम में कार्यरत समस्त महिला कर्मियों को सुरक्षित व स्वस्थ कार्य स्थल सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से **कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण कानून पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।** पहल संस्था से श्री प्रवीण गोखले एवं सुश्री अनुपा के द्वारा कानून पर विस्तृत चर्चा के पश्चात परियोजना के हस्तक्षेप क्षेत्र हेतु समिति का गठन भी किया गया। चर्चा के दौरान सबको यह स्पष्ट किया गया कि कार्य के दौरान किसी भी तरह के लैंगिक शोषण को सहने की बजाय विरोध करना व फौरन समिति के समक्ष शिकायत करने से ही समस्या को हल किया जा सकता है।

30 नवंबर 2015 तक पूर्ण श्रेणीवार गतिविधियों का संख्यात्मक विवरण

क्र.	श्रेणी	गतिविधि	संख्या	पूर्ण	हितग्राही
1	स्व सहायता समूह संवर्धन	वित्तीय साक्षरता के कुल 13 सत्र = 1 परिचय सत्र + 12 सत्र	546	546	7119
2		स्व सहायता समूह गठन	84	80 समूह गठन	1056
3		प्रति समूह 2 पदाधिकारियों को लेखाजोखा प्रशिक्षण	4	4	129
4		प्रति समूह 1 सदस्य का बैंक से जुड़ाव हेतु कार्यशाला में भागीदारी	2	2	47
5		नियमित साप्ताहिक व मासिक बैठकें	546	546+ 242	7498
6		एक्सपोज़र भ्रमण	3	3	71
7		समूह सदस्यों के लिये आजीविका प्रशिक्षण	3	3	181
8	महिला हिंसा की समाप्ति हेतु स्वसहायता समूहों का संवर्धन	जेन्डर व महिला हिंसा पर एनीमेटर्स के लिये 3 दिवसीय प्रशिक्षण	2	2	81
9		महिला हिंसा से निपटने के कौशल पर 2 दिवसीय दो प्रशिक्षण	2	2	68
10		सुरक्षा जांच (सेफ्टी ऑडिट)	21	21	416
11		6 महिला हिंसा पर अवधारणात्मक सत्र	126	120	1919
12		जेन्डर आधारित हिंसा पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण	21	17	428
13		10 इंटरफेस बैठक प्रति बस्ती	210	132	1038
14		3 सहायक कौशल प्रशिक्षण	3	3	109
15	महिला हिंसा की समाप्ति हेतु लड़कों व पुरूषों की भागीदारी	युवा समूह गठन	32	32	469
16		जेन्डर व महिला हिंसा पर एम्बेसडर्स के लिये 3 दिवसीय प्रशिक्षण	1	1	30
17		1 दिवसीय कार्यशाला युवा समूह के सभी सदस्यों के लिये	16	14	342
18		अंर्तबस्ती इवेंट	6	6	323
		मेगा यूथ इवेंट	1	1	580
19		नियमित मासिक बैठक	320	294	2373
20	महिला हिंसा की समाप्ति हेतु नीतिगत भागीदारी व विभिन्न विभागों में समन्वयन	अंर्त विभागीय बैठकें	4	4	120
21		वाहनपरिचालकों के साथ जेंडर व महिला हिंसा पर 1 दिवसीय कार्यशाला	1	1	119
		पुलिस के साथ जेंडर व महिला हिसां पर 1 दिवसीय कार्यशाला	1	1	50

हस्तक्षेपवार गतिविधि का विस्तृत विवरण

1.स्वसहायता समूह का संवर्धन

1.1: वित्तीय साक्षरता [FL] सत्र

कार्यक्रम के एक मुख्य हस्तक्षेप के रूप में पहले से मौजुद स्व सहायता समूहों या एम एफ आई के साथ काम करते हुए सदस्यों का प्रशिक्षण व बैठकों का आयोजन करना। इस तरह उन्हें आर्थिक संस्थाओं से जोड़ते हुए समूहों का संवर्धन करना ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें । अकॉन (ACCION) संस्था द्वारा तैयार किये गये मॉड्यूल की मदद से स्व सहायता समूहों या महिला समूहों के लिये वित्तीय साक्षरता के सत्र आयोजित किये गये। 42 बस्ती के 84 समूहों (जिसमें 80 एस एच जी व 4 एम एफ आई थे)के साथ वित्तीय साक्षरता के सत्र संचालित किये गये। हमारी संस्था के काम शुरू करने से पहले 504 में से 110 सत्र सिटी टीम द्वारा लिया जा चुका था, शेष 394 सत्र हमारी टीम के द्वारा पूर्ण किये गये। वित्तीय साक्षरता का मुख्य उद्देश्य प्रथमतः समूहों में वित्तीय नियोजन,नकद प्रवाह एवं बजटिंग ,बचत व कर्ज की अवधारणात्मक समझ विकसित कर बचत करने ,नियमित बैठक व समयानुसार ऋण का भुगतान के लिये प्रेरित करना था। दूसरा यह माना जा रहा था कि प्रत्येक समूह 12 गहन सत्रों के बाद समूह के रूप में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का संचालन कर सकेंगे।

सार : समूह के सदस्य अच्छे व बुरे कर्ज में अंतर समझने लगे और उन्होंने अपने घर खर्च का नियोजन व बजटिंग करना आरंभ कर दिया। समूह के ज्यादातर सदसयों ने अपना बजट बनाया और भविष्य में व्यापार करने की योजना बनाने लगे हैं। एनीमेटर्स का नेतृत्व गुण प्रशिक्षण व बैठकों के दौरान दिखाई देने लगा है। सदस्यगण पुष्पा की कहानी से अपनी ज़िदगी को जोड़ पाते हैं और अपने घर पर वित्तीय नियोजन कर पा रहे हैं। नवंबर 2015 तक वित्तीय साक्षरता के कुल 546 सत्र तथा समूहों की नियमित मासिक बैठकों में इसका फॉलोअप सत्र लिये गये जिसमें 7119 सदस्यों ने सहभागिता की।

1.2: स्व सहायता समूहों का गठन :

जैसा कि कार्यक्रम के नियोजन के दौरान सोचा गया था कि वित्तीय साक्षरता के सत्रों के बाद महिलाएं समूह के रूप में एकजुट होने लगेंगी। सत्रों के दौरान यह प्रयास शुरू हो गए।

इस प्रयास में कुल 80 **एम एफ आई** स्व सहायता समूह में परिवर्तित हो गये। सदस्यों ने समूह में बचत भी शुरू कर दिया ताकि उनका बैंक से जुड़ाव भी किया गया । 80 में से **56** समूहों ने अपना **बैंक खाता** खोल लिया एवं शेष अभी प्रक्रियाधीन हैं । कुल **1023** महिलाएं इन समूहों की सदस्य है ।

1.3: नियमित मासिक बैठक

समूह सदस्यों की समझ को स्पष्ट करने एवं समूह को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रतिमाह समूह सदस्यों के साथ बैठक का संचालन किया गया। योजना के मुताबिक कुल **546** बैठक (13 बैठक प्रति समूह) किया जाना था। परंतु संस्था के द्वारा तय संख्या के अलावा नवंबर 2015 तक अतिरिक्त **242** नियमित बैठकों का संचालन किया गया, ताकि समूहों को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। बैठकों का संचालन अभी भी अनवरत् जारी है।

सार : स्व सहायता समूह का गठन कोई सरल कार्य नहीं है। किसी समूह को स्व सहायता समूह बनाने के लिये विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ा है। तब जाकर महिलाएं समूह व समूह में कार्य करने का महत्व समझने लगी हैं। नियमित बैठकों के पश्चात वे आगे आकर समूह के रूप में कार्य करने को तैयार हो गई हैं और दूसरों को इसकी नियमावली को अपनाने के लिये प्रोत्साहित भी कर रही हैं। कुल **7498** महिलाओं ने समूह की बैठकों में भाग लिया।

1.4: समूह सदस्यों को मिला प्रोत्साहन किट

बचत की आदतों को भविष्य में बनाये रखने व घर की बचत के माध्यम से समूह में बचत को बढ़ावा देते हुए भविष्य को सुरक्षित करने के लिये सभी सदस्यों को गुल्लक भेंट किया गया। छोटी बचत बड़े काम आती है इस संदेश को सबके बीच प्रसारित करने हेतु गुल्लक पर सुक्ति लिखा गया है '**बुंद-बुंद बचत से भविष्य की सुरक्षा**', जो कि हर वक्त महिलाओं को बचत के लिये प्रेरित करता रहेगा। साथ ही प्रत्येक सदस्य को एक डायरी भी दिया गया ताकि इस परियोजना से जुड़कर बनी समझ,सीख व बदलाव के अनुभव व भावनाओं को वे इसमें लेखबद्ध कर सकें।

1.5: स्व सहायता समूहों की ग्रेडिंग

स्व सहायता समूह के स्तर को मापने के लिये श्री शहजाद (आजीविका विशेषज्ञ,एम एस यू) द्वारा बताई गई विधि से समस्त 84 समूहों की ग्रेडिंग की गई। ग्रेडिंग त्रैमासिक किया गया।

स्व सहायता समूहों की ग्रेडिंग का विस्तृत विवरण						
श्रेणी कोड	मानदंड	सितंबर 2014	दिसंबर 2014	मार्च 2015	जून 2015	सितंबर 2015
हरा	43 व इससे अधिक	2	1	2	11	13
पीला	29 से 42 अंक	25	49	51	55	56
लाल	16 से 18 अंक	57	34	31	18	15
	Total	84	84	84	84	84

शुरूआती दौर में **लाल श्रेणी** में कुल 57 समूह थे और पीले श्रेणी में केवल 25 समूह। पर जैसे–जैसे हमारा काम बढ़ा पीले श्रेणी में 25 से 56 समूह हो गये जो कि आरंभ से लगभग दुगने हैं। वहीं लाल श्रेणी में 57 से 15 समूह ही रह गये। प्रत्येक त्रैमास में क्रमशः 23,3,13 एवं 3 स्व सहायता समूह लाल से पीले श्रेणी के दायरे में आ गये,जो कि प्रारंभ से लगभग 1/4 है। और अंत तक 13 समूह हरे श्रेणी में आ पहुंचे जो कि आरंभिक स्थिति से 6 गुना है।

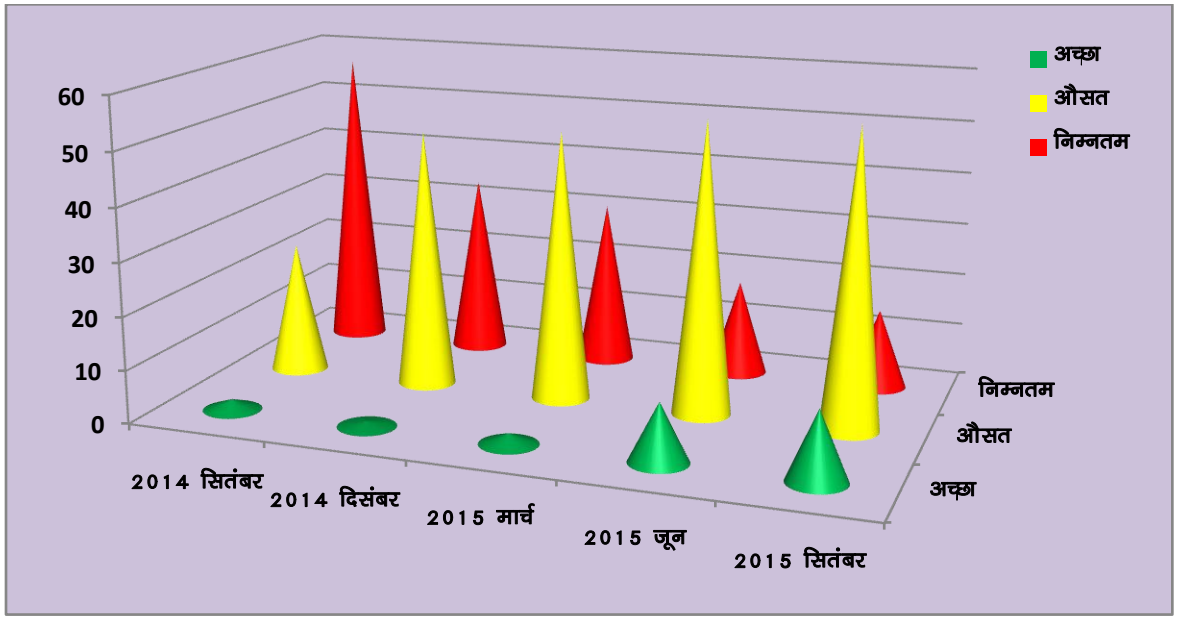

1.6: स्व सहायता समूहों की लेखांकन प्रशिक्षण

समूहों में लेखांकन, स्व सहायता समूह की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। लेखांकन (अकाउंटिंग) प्रक्रिया की जानकारी के अभाव या अकुशल प्रबंधन से कोई भी समूह टूटने की कगार पर आ सकता है। इसीलिये किसी भी समूह का सशक्तीकरण तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि उसके सदस्यों को लेखांकन की जानकारी व दस्तावेज संधारण का कौशल न आ जाए।

इसी विचार के साथ सभी समूहों के लेखाजोखा रखने वाले सदस्यों के लिये लेखांकन व दस्तावेज संधारण पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण श्री शहजाद के मार्गदर्शन में आजीविका एवं माइक्रो फायनेंस विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया गया।

सारः सभी समूहों क लेखाजोखा रखने वाले सदस्य दस्तावेज संधारण की प्रक्रिया को समझकर लेखांकन क्षमता से लैस हो गये। अब वे किसी साक्षर व्यक्ति की मदद से अपने समूह का लेखा जोखा रखने में सक्षम हो गये हैं। पढ़ना लिखना नहीं आने की वजह से वे स्वयं हिसाब नहीं लिख सकते परंतु मुंहजबानी उन्हें हिसाब करना आ गया है। स्व सहायता समूह के संवर्धन वाली बस्ती के 42 समूहों से कुल 129 सदस्यों ने 4 प्रशिक्षण के माध्यम से लेखांकन की क्षमता अर्जित की।

1.7: बैंक अधिकारियों के साथ कार्यशाला

बैंक अधिकारियों एवं समूह के सदस्यों के बीच के अंतर को पाटने और बैंक से जुड़ाव की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान बैंक अधिकारियों के समक्ष ऐसे समूहों को आर्थिक मदद करने का प्रस्ताव रखा गया जो कि बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे और कोई व्यवसाय आरंभ करने का विचार रखते थे। बैंक अधिकारियों ने बैंक से संबंधित सभी लाभकारी योजनाओं की जानकारी व इससे जुड़ने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी से महिलाओं को परिचित कराया। कार्यशाला में चर्चा के दौरान अधिकारियों ने सदस्यों को बताया कि चेक के द्वारा भुगतान करने से एक तरफ समूह में लेखांकन पारदर्शी होता है तो दूसरी तरफ भविष्य में बैंक से ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है। अंत में महिलाओं ने विभिन्न ऋणों व इससे संबंधित ब्याज दर के बारे में सवाल जवाब करके अपनी जानकारी में बढ़ोतरी की।

सार : भविष्य में आपसी संपर्क के लिये समूह सदस्यों व बैंक कर्मचारियों के बीच अच्छा तालमेल बन गया। कार्यशाला में महिलाएं खुलकर सवाल जवाब कर रही थीं जो कि बैंकर्स के साथ उनके सहज रिश्ते एवं जानकारी से भरपूर आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। 2 कार्यशालाओं में बैंक अधिकारियों के साथ कुल 47 समूह सदस्यों ने सहभागिता की।

1.8 सामूहिक प्रयासों से हिंसा व गरीबी को समाप्त करने के अनुभवात्मक सीख के लिये

जनसाहस में एक्सपोज़र भ्रमण

सुरक्षित शहर के लिये एक पहल कार्यक्रम के तहत महिला हिंसा के हस्तक्षेप वाली 21 बस्तियों के स्व सहायता समूह की एनीमेटर्स ने सोनकच्छ स्थित **जनसाहस सामाजिक विकास संस्था** का भ्रमण किया। इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य जनसाहस व इसकी समुदाय आधारित समूहों के कार्यों व आजीविका

संबंधित गतिविधियों का अवलोकन करना ,समझना व सीखना था। साथ ही हिंसा को समाप्त करने के लिये संभावित उपायों को टटोलना भी था। भ्रमण के पश्चात हिंसा को रोकने के संदेश लिये एक टार्च रैली का आयोजन भी इंदौर में किया गया।

सार : 71 एनीमेटर्स के साथ एस सी आई की पूरी टीम एक्सपोज़र भ्रमण पर गई। जुझारू महिलाओं के साथ हिंसा को रोकने के तरीकों व अनुभवों पर हुई चर्चा से एनीमेटर्स के ज्ञान व क्षमताओं में बढ़ोतरी हुई। समुदाय आधारित संस्था की संरचना, उनका प्रबंधन कौशल, एवं समाज में बदलाव के लिये नियोजन व क्रियान्वन की समझ बनी। जनसाहस द्वारा पोषक भोजन व डिग्नीटी विथ डिजाइन के काम के माध्यम से गरीबी को कम करने का प्रयास किया जा रहा जिसे देखकर सभी को एक नये कौशल को अपनाने का उपाय मिला।

1.9 आजीविका संबंधित गतिविधियां

a आजीविका प्रशिक्षण

तंग बस्तियों की महिलाओं के साथ बनाये गये हमारे स्वसहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण करना ,एस सी आई के तहत मुख्य हस्तक्षेप था। स्वसहायता समूह में पहले तो मुख्य रूप से बचत व कर्ज पर जोर दिया गया।

इसके पश्चात उन्हे विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर बैंक से जोड़ा गया ताकि वे व्यक्तिगत या समूह के स्तर पर अपनी रूचि व संभाव्यता के आधार पर लघु उद्योग स्थापित कर सकें। समूह में आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केन्द्र मौजुदा संसाधनों से आय में वृद्धि करना तथा स्थानीय संसाधन व कौशल का अधिकतम दोहन करके आजीविका के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना था।

हमारे स्व सहायता समूहों को बैग सिलाई, नमकीन सेव–कचौरी बनाने व हैण्डी क्राफ्ट बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। आजीविका के अवसरों तक पहुंचने व उसका उपयोग करने की क्षमतावृद्धि करने के लिये 6 दिवसीय आजीविका प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। सैडमेप से आये स्रोत व्यक्ति के द्वारा प्रशिक्षण में पहले 2 दिन व्यवसाय के सैंद्यांतिक समझ बनाने पर जोर दिया गया। फिर शेष 4 दिन इसके व्यवहारिक पक्ष को समझाया गया। महिलाओं द्वारा बनाये गये उत्पादों को विक्रय के लिये बाजार से जोड़ने हेतु अनेक व्यापारियों को भी प्रशिक्षण में आमंत्रित किया गया था। प्रशिक्षण की समाप्ति पर सैडमेप द्वारा सभी सहभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किया गया।

आजीविका प्रशिक्षण के तीनों सत्रों का विस्तृत विवरण

क्र	तारीख	व्यापार	स्थान	हितग्राही	सहभागी बस्ती का नाम
1	31 अक्टूबर से 5 नवंबर 2015	नमकीन सेव–कचौरी बनाना एवं विक्रय	मौनी बाबा आश्रम	75	शिव नगर,मारूति नगर,राम नगर,नरवल काकड़,छोटी कुम्हार खेड़ी,सुगन्धा नगर एवं ब्रम्ह बाग
2	31 अक्टूबर से 5 नवंबर 2015	हैण्डी क्राफ्ट बनाना एवं विक्रय	बजरंगपूरा सामुदायिक भवन	66	शिव नगर, मारूति नगर, राम नगर, सुगन्धा नगर एवं बजरंगपूरा
3	2 से 7 नवंबर 2015	बैग सिलना एवं विक्रय	रहबर हॉल, खजराना	40	बाबा मंसब नगर, सोहराब कालोनी, बड़ला
	3 बैच			181	

b.गरीबी रेखा श्रेणी वाले परिवारों को ऋण

ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे उन्हे आजीविका के नये विकल्पों से जोड़ने के लिये सर्वेक्षण किया गया। ताकि हितग्राही के रूप में उन्हें चिन्हित कर एन यू एल एम से जोड़ा जा सके। 53 बस्तियों में सर्वेक्षण के बाद हाथ ठेला क्रय करने हेतु कुल 52 ,पाथ विक्रेता के लिये 10,000रू. का ऋण के 2 एवं 25 स्वरोजगार ऋण (50,000 से 2 लाख) के फार्म भरे गये ताकि वे नये रोजगार शुरू कर सकें या अपने पुराने काम को समृद्ध कर सकें।

c डी एल एफ के साथ जुड़ाव

आजीविका विकास के लिये एस सी आई के तहत टीम ने डी एल एफ के साथ अवसरों को परखने का प्रयास किया। अप्रैल में डी एल एफ से श्री अंजनी श्रीवास्तव सेफ सिटी कार्यालय आये और उन्होंने पूरी टीम को अपनी योजनाओं के बारे में बताया। जिससे कि समुदाय को जोड़ा व लाभान्वित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वे युवाओं को अनेकों तरह के प्रशिक्षण देते हैं और बाद में योग्य उम्मीदवारों को नौकरी भी देते हैं। इस बैठक के बाद अवन्तिका नगर, राम नगर व भोलेनाथ कालोनी से 5 युवा जिसमें 1 लड़की भी है, ने डी एल एफ के साथ जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

d.एन यू एल एम शिविर

आजीविका विकास के लिये **एस सी आई** की बस्तियों में **एन यू एल एम** कैम्प का आयोजन कर हितग्राहियों को आजीविका के अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया गया। समूह के सदस्यों व उनके परिवार के लोगों को जोड़ने के लिये कुल **11 कैम्प** का आयोजन किया गया। ऐसे 8 बस्तियों को एन यू एल एम से जोड़ा गया जहां के समूह के ज्यादातर सदस्य बी पी एल श्रेणी में आते थे। कैम्प के बाद समूह सदस्यों के परिवार के 14 लोग एन यू एल एम के सेन्ट्रम प्रशिक्षण केन्द्र से जुड़े।

सार: इस विचार के साथ कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण से हिंसा की घटनाओं पर रोक लगेगी परियाजना के तहत आजीविका से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया गया। इससे महिलाओं में आत्म विश्वास व सामाजिक सुरक्षा की भावना पैदा हुई जिससे वे सशक्तीकरण की तरफ एक कदम आगे बढ़ीं। कुल 181 महिलाओं व **5** युवाओं ने आजीविका बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण प्राप्त किया। साथ ही कुल 79 लोगों ने ऋण का आवेदन दिया ताकि आजीविका के अवसर बढ़ा सकें।

स्व सहायता संवर्धन की गतिविधियों का माहवार विवरण

स्व सहायता संवर्धन की गतिविधियों का विस्तृत विवरण

		2014					2015											
गतिविधि	**लक्ष्य**	**सि 14 से पहले**	**सि**	**अ**	**न**	**दि**	**ज**	**फ**	**मा**	**अ**	**म**	**जू**	**जू**	**अ**	**सि**	**अ**	**न**	**कुल**
वित्तीय साक्षरता	546	110	43	66	82	93	62	25	14	51								546
समूह गठन	84	0	42	8	5	4	6	5	6	4								80
मासिक बैठक	546	0	0	28	44	34	55	56	64	62	57	74	68	64	64	62	56	546+242
लेखांकन प्रशिक्षण	4	0									2			1		1		4
बैंकर्स के साथ कार्यशाला	2	0												1		1		2
आजीविका प्रशिक्षण	3	0															3	3
एक्सपोज़र भ्रमण	3	0													3			3

"गंगा बाई का जीवन पॉप कार्न की तरह फटाफट बदल गया"

गंगा बाई कहती है " जैसे थोड़ी सी आंच मक्के को फटाफट पॉपकार्न में बदल देती है वैसी ही मेरे समूह के सहयोग ने मेरी ज़िदगी बदल दी। मेरा सपना पूरा हुआ।" गंगाा बाई असाधारण प्रतिभा वाली एक साधारण महिला है जो मारूति नगर में परिवार के 5 सदस्यों के साथ बेहद तंगी के दिन गुजार रही थी। एक दिन एकता समूह की बैठक में वित्तीय साक्षरता के सत्र के दौरान उसने वित्तीय नियोजन की बात सुनी। स्वयं के लिये वित्तीय नियोजन करने पर उसने मूंगफली व पॉपकार्न का ठेला लगाने की योजना बनाई। मूंगफली व पॉपकार्न बेचने का ख्याल

उसके दिमाग में तब आया था जब उसने सांवेर रोड पर स्थिति अरबिंदों अस्पताल के सामने लोगों का अच्छा जमावड़ा देखा। मगर पैसों की व्यवस्था न होने की वजह से वह यह काम शुरू नहीं कर पाई। पर एकता समूह का हिस्सा बनने के बाद, समूह की बैठक में आपसी लेनदेन के दौरान उसने 5000 कर्ज की मांग रखी और उसकी यह मांग पूरी भी हो गई। इस मुद्दल के साथ उसने अपने व्यापार के लिये हाथ ठेला, बर्तन व आवश्यक सामान खरीदा। इस काम का सबसे खुबसूरत पहलू यह है कि यह ऐसे स्थानीय जरूरत की पूर्ति करता है जिसकी मांग हर मौसम में, हर समय है। वर्तमान में गंगा बाई हर माह 3 से 5 हजार रूपये कमा रही है और आत्मविश्वास के साथ पूरे घर का खर्च चला रही है। यह एक बेहद उत्कृष्ठ तरीका व लाभकारी कार्य है जिसमें कम लागत में अधिकाधिक फायदा मिल रहा है। **'भविष्य में इसे और बढ़ाउंगी ताकि ज्यादा फायदा मिल सके।**" गंगा बाई कहती है।

स्वसहायता समूह संवर्धन गतिविधियों की उपलब्धि एवं सीख

- 80 स्व सहायता समूह गठित हुए जिसमें से 72 एम एफ आई को एस एच जी में बदला गया।
- समुदाय में वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण के बाद महिलाओं में अपने घर व समूह के वित्तीय मामलों का प्रबन्धन व बेहतर क्रियान्वन करने की अच्छी समझ बनी। साथ ही सदस्यों की आर्थिक सेवाओं का सचेत व प्रभावी उपभोक्ता बनने की क्षमता बढ़ी जिससे उनके कर्ज में डूबने का डर खत्म हुआ।

- स्व सहायता समूह का लेखा जोखा रखने वाले सदस्यों के लिये लेखांकन व दस्तावेज संधारण प्रशिक्षण आयोजित करने से समूह में बचत का बेहतर प्रबन्धन ,आंतरिक लेनदेन व आर्थिक सेवाओं तक पहुंच की क्षमता बढ़ी।
- बैंकर्स कार्यशाला से जुड़ाव व आपसी संपर्क विकसित हुआ जिससे संस्थागत ऋण तक पहुंच संभव हो पाया।
- बचत की आदत का विकास हुआ जिससे 10 समूहों में एस एच जी की जमापूंजी से आंतरिक लेनदेन की शुरुआत हुई।
- अब तक 80 समूहों की कुल बचत 7.30 लाख हुई है अर्थात् प्रति समूह लगभग 21 हजार।
- 59 समूहों ने बैंक में अपना खाता खोल लिया है जिससे वे अपने समूह की बचत नियमित तौर पर बैंक में जमा कर लाभ पा रहे हैं।
- स्वसहायता समूहों को बैग सिलने, नमकीन सेव–कचौरी बनाने व हैण्डी क्राफ्ट बनाने का प्रशिक्षण 181 सदस्यों ने पूर्ण किया। आजीविका विकास प्रशिक्षण के पश्चात समूह के 181सदस्यों के लिये आजीविका के नये रास्ते खुल गये हैं।
- 54 लोगों के लिये हाथ ठेला ,पाथ विक्रेता व 25 लोगों ने स्वरोजगार ऋण के लिये आवेदन दिये हैं और 5 युवाओं ने डी एल एफ में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जिससे उनके आजीविका सुनिश्चित होने की संभावना बढ़ी है।
- एन यू एल एम शिविर से हितग्राहियों की आजीविका की जानकारियों में बढ़ोतरी हुई है।
- समूह की नियमित मासिक बैठक से समूह सशक्त हुए। साथ ही सामुहिक तौर पर जेन्डर आधारित मानदंडों ,संबंधों और घरेलू मामलों में निर्णय लेने के पहलू पर चर्चा से उनकी विश्लेषण क्षमता भी बढ़ी है।

हस्तक्षेप 2 – महिला हिंसा के मुद्दे को संबोधित करने हेतु स्वसहायता समूह संवर्धन

2.1 : सामुदायिक एनीमेटर्स के लिये जेन्डर व महिला हिंसा पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण

यह प्रशिक्षण स्व सहायता समूहों के एनीमेटर्स की महिला हिंसा से बचाव व प्रतिरोध की समझ विकासित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस हस्तक्षेप के अंर्तगत नियोजित प्रशिक्षण के माध्यम से समुदाय के सदस्यों को संस्थागत व अनौपचारिक सेवा प्रदाताओं के साथ संपर्क बनाने का अवसर मिला।

समुदाय स्तर के एनीमेटर्स को प्रशिक्षित करने के लिये यह प्रशिक्षण मॉड्यूल **एम एस यू** के द्वारा तैयार किया गया था। हिंसा आधारित हस्तक्षेप वाली 21 बस्तियों के प्रत्येक समूह से 2 –2 सदस्य का चयन एनीमेटर्स के तौर पर करके उन्हें हिंसा के खिलाफ पैरवी करने के लिये तैयार किया गया। 3 दिन में कुल 16.5 घंटों में सभी सत्र का नियोजन किया गया। ये सत्र जेन्डर, जेन्डर आधारित भूमिका, महिलाओं के खिलाफ हिंसा एवं हिंसा के खिलाफ कदम उठाने के उपाय आदि मुद्दों पर केन्द्रित थे।

सार: चयनित एनीमेटर्स के लिये आयोजित जेन्डर संवेदी सत्र के पश्चात उनके विचारों व रवैये में बदलाव देखा गया। उनमें यह समझ भी बनी कि हिंसा, महिलाओं के अधिकारों के हनन का ही एक रूप है। वे समाज में बदलाव लाने के लिये जनता को संवेदित करने हेतु पूरी तरह से तैयार व उत्साहित हैं। 84 में से कुल 81 एनीमेटर्स प्रशिक्षित हुई।

2.2: एनीमेटर्स के लिये जेन्डर व महिला हिंसा पर प्रतिक्रिया की 2 दिवसीय प्रशिक्षण

पहले प्रशिक्षण में सभी एनीमेटर्स, महिलाओं के खिलाफ हिंसा व इससे जुड़े मुद्दों से भलीभांति परिचित हो चुकी थीं।

इसी क्रम में आगे दूसरे प्रशिक्षण में हिंसा से निपटने के लिये कानूनी एवं संस्थागत सेवा प्रदाताओं की जानकारी व उन तक पहुंचने के लिये आवश्यक कौशल से लैस किया गया। साथ ही उन्हें फौजदारी व दीवानी कानून में अंतर, दहेज कानून, घरेलू हिंसा एवं लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित फौजदारी कानून की जानकारी व इसे उपयोग कर हिंसा से निपटने की प्रक्रिया बताई गई।

सार : जैसा कि पहले ही स्पष्ट था कि हमें एनीमेटर्स को कानूनी जानकारी रटाना नहीं है बल्कि कानूनी प्रक्रिया की समझ विकसित करना है, जो कि हर तरह से पूर्ण हुआ। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की गहरी समझ व इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी ने एनीमेटर्स में एक अलग ही आत्मविश्वास को जन्म दिया। और उनके भीतर साहस का संचार कर दिया जो कि उनके शारीरिक हावभाव में साफ झलकने लगा है। अब वे हिंसा से निपटने के लिये बुनियादी कानूनी दावपेंच से परिचित हैं। 84 में से कुल **68 एनीमेटर्स** इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षित हुईं व शेष एनीमेटर्स ने समुदाय स्तर पर जेन्डर आधारित प्रशिक्षणों में शामिल होकर अपनी जानकारियों में बढ़ोतरी की।

2.3: सेफ्टी ऑडिट : दूसरे हस्तक्षेप के अंर्तगत 21 सेफ्टी ऑडिट, हिंसा रोकने पर केन्द्रित 21 बस्तियों में संचालित किये गये। सेफ्टी ऑडिट का मुख्य उद्देश्य **एस एच जी** की महिलाओं को महिला हिंसा के बारे में सोचने व इसे रोकने की कार्ययोजना बनाने के लिये प्रेरित करना है। सेफ्टी ऑडिट के पहले दिन केन्द्रित समूह चर्चा, सुरक्षा चहलकदमी, नक्शा बनाना व जांच सूची तैयार किया गया। दूसरे दिन संकलित जानकारी व तथ्यों के आधार पर समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित विभागों के लिये ज्ञापन तैयार किया गया। स्व सहायता समूह व युवा समूह के सदस्यों ने मिलकर बस्ती स्तर पर सेफ्टी ऑडिट को अंजाम दिया।

सामुदायिक सेफ्टी ऑडिट अच्छे (सुरक्षित) व बुरे (असुरक्षित) स्थान की पहचान करने में मदद करता है। ऑडिट से स्थान का मूल्यांकन होता है और एक सुधार योजना मिलता है । जो कि एक रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करता है कि आगे क्या सुधार या बदलाव किया जाना चाहिये।

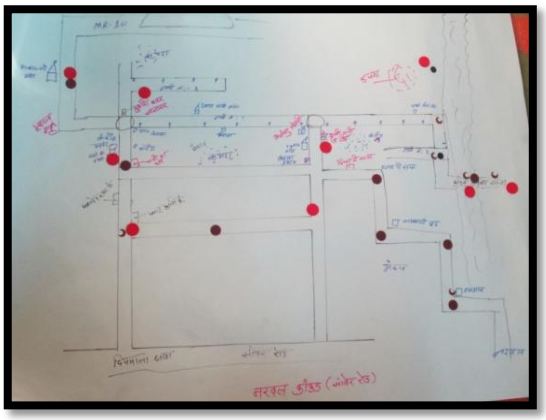

सारः सेफ्टी ऑडिट के पश्चात अनेकों मुद्दे उभरकर आये जैसे खम्भों पर बल्ब न होना, बिजली का कनेक्शन न होना या ड्रेनेज की समस्या, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था न होना, पीने का पानी न मिलना एवं छेड़छाड़ आदि। इन समस्याओं की पहचान सेफ्टी ऑडिट के दौरान महिलाओं के साथ हिंसा बढ़ाने वाले कारणों के रूप में किये गये।

योजना के मुताबिक सेफ्टी ऑडिट के दौरान समस्याओं से संबंधित विभागों के लिये ज्ञापन तैयार किये गये थे। अब इन ज्ञापनों को संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया ताकि समस्याओं का समाधान मिल सके। कुछ बस्तियों में समस्याओं पर फौरन ध्यान देते हुए उनका निराकरण किया गया जबकि कुछ बस्तियों की समस्याओं पर पार्षद या अन्य जिम्मेदार अधिकारियों ने रूचि नहीं दिखाई। इसी कारण बहुत सी समस्या अंत तक अनसुलझे ही रह गये जबकि इसके लिये कई बार फॉलोअप किया गया।

2.4: महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर मुद्दा आधारित बैठक (Thematic sessions)

समुदाय स्तर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें प्रशिक्षण में चर्चा किये गये मुद्दों को और गहराई से समझाते हुए उपलब्ध लाभकारी योजनाओं और अधिकारों को प्राप्त करने का तरीका आदि विस्तार से बताया गया। मुख्य तौर पर दहेज कानून, बाल विवाह, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, फौजदारी व दीवानी प्रक्रिया, सुरक्षा योजना तथा सरकारी लाभकरी योजनाओं तक पहुंचने का तरीका आदि बताया गया। यह भी चर्चा हुई कि किस योजना में हितग्राही कौन होंगे और योजना का लाभ लेने के लिये किस–किस तरह के दस्तावेज व प्रक्रिया की आवश्यकता है तथा समाज के प्रति अपनी क्या जिम्मेदारी है।

सारः महिलाओं ने यह समझा कि हिंसा क्या है और हिंसा होने पर क्या निदान किया जा सकता है। घरेलू हिंसा को अपराध के रूप में समझाना बेहद कठिन था। क्योंकि आमतौर पर यह रस्म, मूल्य और परंपराओं के नाम पर महिलाओं पर थोपा व सिखाया जाता है व दिनचर्या का हिस्सा होता है। कई प्रशिक्षणों और बैठकों के बाद महिलाएं अब कम से कम हिंसा को पहचान रही हैं और इसे हल करने के लिये बातचीत करने को तैयार हैं। वे यह स्पष्ट तौर पर समझ गई हैं कि शराब हिंसा का मुख्य कारण नहीं है बल्कि जेन्डर,पितृसत्ता व भेदभाव इसके लिये जिम्मेदार हैं।120 बस्तियों में कुल 120 थीमेटिक सत्र आयोजित किये गये जिसमें 1919 महिलाएं सहभागी रहीं।

2.5 जेन्डर आधारित महिला हिंसा पर (5 दिवसीय समुदाय आधारित) प्रशिक्षण

सभी एनीमेटर्स, महिलाओं के खिलाफ हिंसा व इससे जुड़े मुद्दों से भलीभांति परिचित हो चुकी थीं। मगर समूह के अन्य सदस्य अभी भी सतही तौर पर ही इसे समझ पाए थे। समूह के सभी सदस्यों को महिला हिंसा के मुद्दों पर मुखर व संवेदनशील बनाने व समस्या का समाधान मिलकर तलाशना सिखाने हेतु 5 दिवसीय **जी बी वी** प्रशिक्षण समुदाय स्तर पर आयोजित की गई।

यह प्रशिक्षण हिंसा पर केन्द्रित बस्तियों में समूह के सभी सदस्यों के लिये संचालित की गई। सुश्री अनुपा व श्री प्रवीण गोखले बाह्य स्रोत व्यक्ति के तौर पर और सुश्री मेघा व श्री अंशुल चर्तुवेदी टीम में से स्रोत व्यक्ति के तौर पर विभिन्न प्रशिक्षणों में शामिल हुए।

इन प्रशिक्षणों में जेन्डर, महिला हिंसा,कानूनी प्रक्रिया, घरेलू हिंसा,दहेज एवं सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा से संबंधित कानून की जानकारी शुरूआती दो दिन में सहभागियों को दी गई। तीसरे दिन समुदाय में पुलिस व संरक्षण अधिकारी के साथ इंटरफेस बैठक रखी गई तथा शेष 2 दिन समुदाय में गतिविधि के माध्यम से हिंसा रोकने की अपील की गई।

सारः समूह के सभी सदस्यों की अब हिंसा के मुद्दे और उसको रोकने के कानूनी उपायों पर बुनियादी समझ बन चुकी है। प्रशिक्षण के दौरान जब कोई सदस्य किसी बात पर सहमत नहीं होती या मानना नहीं चाहती तो एनीमेटर्स स्वयं सत्र का कमान संभाल लेते और अपने स्तर पर उस सदस्य को आराम से वह बात समझा देते। एनीमेटर्स को नेता और सहजकर्ता के रूप में देखना बेहद अच्छा अनुभव था। अब समूह के सभी सदस्य हिंसा को पहचानने व समझने लगी हैं और इसे हल करने के लिये बातचीत करने को तैयार हैं। जून से अगस्त के बीच कुल **17 जेन्डर आधारित हिंसा पर प्रशिक्षण** आयोजित किये गये जिसमें कुल **428** सदस्यों ने सहभागिता कर अपनी समझ बनाई।

2.6 इंटरफेस बैठक

यह पहले से तय था कि प्रति बस्ती 10 इंटरफेस बैठक आयोजित किया जाना है ताकि बस्ती से चिन्हित समस्याओं को संबंधित विभाग व अधिकारियों के सहयोग से हल किया जा सके व उनसे संपर्क बढ़ाया जा सके।

हिंसा रोकने के प्रयासों पर केन्द्रित बस्तियों में पार्षद व संबंधित महकमे के कर्मचारियों के साथ इंटरफेस बैठक आयोजित किये गये। संबंधित बस्ती के पार्षदों को ज्ञापन सौंपा गया। सेफ्टी ऑडिट में बहुत सारी समस्याएं बस्ती स्तर पर चिन्हित किये गये थे जो कि बस्ती में महिलाओं पर हिंसा के खतरे के स्तर को दर्शा रहे थे। इन्हीं समस्याओं को इंटरफेस के दौरान पार्षद व अन्य संबंधित कर्मचारियों से साझा किया गया।

सारः पुलिस के साथ इंटरफेस बैठक के बाद कुछ बस्तियों में अच्छे परिणाम मिले। पर शेष बस्तियों व विभागों में अभी भी और अधिक संवेदनशीलता बढ़ाने की जरूरत है ताकि सीमित समय में अधिक परिणाम मिल सके। हर विभाग व अधिकारी द्वारा समूह की महिला सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ पर गिनती की ही समस्याओं का निराकरण हो पाया। इसका अर्थ यह कतई नहीं लगाया जा सकता कि समुदाय सहयोगी संस्था के प्रयासों में कहीं कमी थी । बल्कि इससे यह पता चलता है कि सरकारी विभागों से काम करवाने के लिये अधिक समय की आवश्यकता है। अनुबंध में यह बताया गया था कि पुलिस, सामुदायिक पुलिस, संरक्षण अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं आर्थिक संस्थाओं के साथ इंटरफेस बैठक किया जाएगा। परंतु बाद में **एम एस यू** ने सुझाया कि **सेफ्टी ऑडिट** में चिन्हित समस्याओं से संबंधित विभागों के साथ ही इंटरफेस बैठक किया जाना उचित होगा। इसलिये कुछ विभागों के साथ यह बैठक नहीं किया गया और शेष 5 दिवसीय समुदाय आधारित प्रशिक्षण के दौरान शामिल किये गये। कुल 132 **इंटरफेस बैठक** आयोजित किये गये जिसमें 1038 सदस्य शामिल हुए।

2.7: परामर्श सत्र

जैसा कि हम जानते हैं प्रशिक्षण व बैठकों के दौरान हिंसा के कई सारे मामले समूह में साझा किये गये। योजना के मुताबिक काउंसलर ने सामुदायिक कार्यकर्ता के साथ मिलकर बस्ती भ्रमण का नियोजन किया। काउंसलर ने **महिला हिंसा** वाली बस्तियों में भ्रमण कर सदस्यों को परामर्श के बारे में समझाया।

इस प्रक्रिया के बाद काउंसलर के समक्ष केस दर्ज किये गये और परिवार व पीड़ित महिला को परामर्श प्रदान किया गया। परामर्श सत्र माह के पहले, तीसरे व चौथे शनिवार को आयोजित किये गये।

सारः परामर्श के दौरान महिलाओं को ये भरोसा हुआ कि हिंसा से बाहर आने का कोई रास्ता अब उनके पास है। उन्हें अब अपनी समस्याओं को साझा करने का एक ऐसा मंच मिला जहां वे अपने तनाव को कम करने के साथ ही उसका समाधान भी प्राप्त कर सकती हैं। इस साल कुल 62 मामले काउंसलर के समक्ष दर्ज हुए जिसमें से 26 मामले परामर्श से ही सुलझ गये जबकि 13 मामलों में अभी भी सतत् परामर्श जारी है। वकील के पास 14 मामले गये थे जिसमें से 10 हल हो गये। 4 मामले पुलिस के पास दर्ज हुए और 5 अदालत में विचाराधीन हैं। काउंसलर के समक्ष दर्ज मामलों में से कुल 32 मामले घरेलू विवाद के ,28 पति–पत्नी के बीच झगड़े के और 1–1 मामला दहेज व सार्वजनिक स्थान पर लैंगिक उत्पीड़न का था।

2.8: सहयोगी कौशल प्रशिक्षण

मुसीबतजदा व्यक्ति को समस्याओं से निजात दिलाने से अधिक जटिल कोई काम नहीं है। खासतौर पर जब व्यक्ति यह ना बता पाए कि उसे सबसे ज्यादा कौन सी बात परेशान कर रही है।हम अच्छे से जानते हैं कि भारतीय समाज में चुप्पी की संस्कृति पसरी हुई है और महिलाएं बचपन से घर की बात को बाहर साझा न करने की सीख के साथ बड़ी होती हैं।

पर हमारे सतत प्रयासों से यह झिझक टूटी और महिलाओं ने अपनी तकलीफों को साझा करना शुरू कर दिया है। महिलाएं अनेकों समस्याओं के साथ स्व सहायता समूह को संपर्क कर रही हैं

जैसे वे तनाव में हैं,अवसाद में हैं या वे स्वयं पर नियंत्रण खो रही हैं आदि। कहीं उन्हे परिवार या पड़ोसी के साथ समस्या है तो कहीं अपने पति के व्यसन की वजह से त्रस्त हैं,इस तरह से समस्याएं तो अनंत हैं।

हिंसा से जुझती हुई महिलाओं की मदद के लिये हमने समूह के सदस्यों के लिये सहयोगी कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया। इस प्रशिक्षण में उन्हें तार्किक व व्यवस्थित तरीके से दूसरों की मदद करने का कौशल सिखाया गया। प्रशिक्षण में बेहद रोचक व सहभागी विधियों का उपयोग करते हुए पुलिस, अदालत, सत्ता व सरकारी तंत्र/योजनाओं से संबंधित जानकारियों के साथ परामर्श व नेतृत्व कौशल से परिचित कराया गया।

सारः महिलाओं का समूह के रूप में अपनी दुख तकलीफ को साझा करने का मंच मिल गया है। महिलाओं को लग रहा है कि उनका जीवन पहले से बेहतर हो रहा है। अभी हिंसा के मामलों में हालांकि उनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है पर केवल मन का दर्द बाहर आना ही उन्हें राहत दे रहा है। हर तरह के हिंसक माहौल के बारे में महिलाओं ने प्रशिक्षण में जाना–समझा और इन समस्याओं से निपटने व परामर्श के कुछ बुनियादी सैद्धांतिक व व्यवहारिक पद्यतियों को भी सीखा।ताकि वे पीड़ित महिलाओं को व्यवस्थित तरीके से मदद कर पाएं। सहयोगी कौशल प्रशिक्षण के कुल 3 बैच आयोजित किये गये जिसमें 109 महिलाओं ने सहभागिता कर हिंसा के मामलों को समझने व सहयोग के कौशल सीखे।

हस्तक्षेप 2 –महिलाओं के खिलाफ हिंसा																		
		2014					2015											
गतिविधि	लक्ष्य	सि 14 से पहले	सि	अ	न	दि	ज	फ	मा	अ	म	जू	जू	अ	सि	अ	न	कुल
हिंसा पर एनीमेटर्स का प्रशिक्षण	20	0											2	3	4	3	4	17
थीमेटिक बैठक	126	0							0	13	19	23	18	23	12	12		120
सेफ्टी ऑडिट	21	0			1	6	1	8	5	0								21
इंटरफेस बैठक	210	0			1	6	1	8	5	3	13	14	21	7	0	32	20	131
हिंसा पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण	2	0										2						2
सहयोगी कौशल प्रशिक्षण	3																3	3

उपलब्धि व सीख

- समूह की सदस्य महिलाएं हिंसा के मुद्दों को समझ रही हैं और हिंसा के मामलों को पहचान कर इसे हल करने के लिये बातचीत करने को तैयार हैं।

- 80 जुझारू एनीमेटर्स,हिंसा का विरोध करने के लिये तैयार हो गई हैं। वे अब दूसरों को सहयोग करने के साथ ही स्वयं की रक्षा करने में सक्षम हो रही हैं।
- महिलाएं सामने आकर कुम्हारखेड़ी में पर्पल समूह और अमर पैलेस में बिन्दिया समूह के तौर पर संगठित होकर हिंसा का पूरजोर सामना करने को उठ खड़ी हुई हैं।

- इनके इन प्रयासों को स्थायित्व देने के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग के शौर्या दल से जोड़ दिया गया है।
- सेफ्टी ऑडिट के बाद कुम्हारखेड़ी,माली मोहल्ला,नट कालोनी, ईश्वर नगर आदि में पुलिस गश्त आरंभ हो गया और दूसरे बस्तियों में भी गश्त के लिये वे तैयारी कर रहे हैं।
- ज़मीनी स्तर पर कार्य करने के लिये स्थानीय विभागों से संपर्क स्थापित हुआ। शहरी संदर्भ में यह बेहद महत्वपूर्ण कदम है खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने में स्थानीय शासन की भागीदारी बढ़ी है।

- महिला हिंसा के मुद्दे को शहर के नियोजन, प्रबन्धन और प्रशासन में शामिल करना हिंसा को समाप्त करने की दिशा में एक असरकारक कदम है।
- सेफ्टी ऑडिट के माध्यम से हिंसा को बढ़ाने वाले कारणों की समझ बनी। साथ ही बस्ती व शहर के सुरक्षा की जांच करने का तरीका और उसका समाधान निकालना भी सीखा। अब महिलाएं जान गई हैं कि यदि हिंसा की कोई घटना हो तो कहां व किसे रिपोर्ट करना व कैसे मदद प्राप्त करना है।

- हमारे सतत प्रयासों से यह चुप्पी की संस्कृति टूटी और महिलाओं ने अपनी तकलीफों को काउंसलर के साथ साझा करना शुरू कर दिया है। कुल 62 मामलों में काउंसलर ने हस्तक्षेप किया और समाधान भी सुझाए हैं।
- सेफ्टी ऑडिट से निकली समस्याओं को इंटरफेस बैठकों में रखा गया जिसमें से कुछ ढांचागत मुद्दे, स्थानीय शासन द्वारा हल भी किये गये।

सेफ्टी ऑडिट के बाद निम्न समस्याएं हल किये गए –

- पानी से संबंधित

नट कालोनी में पानी के लिये पाईप लाईन बिछाए गये। इसी तरह के 41 आवेदन अन्य बस्तियों के प्रक्रियाधीन हैं। शिवबाग में फौरी तौर पर टैंकर की व्यवस्था की गई। अमर पैलेस में पानी के पाईप लाईन का मरम्मत किया गया।

- ड्रेनेज समस्या

माली मोहल्ला,शिव बाग और गांधी ग्राम में ड्रेनेज की सफाई की गई तथा अमर पैलेस में चैम्बर बदला गया।

- पुलिस से संबंधित

कुम्हारखेड़ी,माली मोहल्ला, नट कालोनी, ईश्वर नगर, माली मोहल्ला, शिव बाग व गांधी ग्राम आदि में पुलिस गश्त आरंभ हो गया। समूह के सदस्यों को पुलिस ने अपना व्यक्तिगत दूरभाष नंबर भी दिया है ताकि वे मुसीबत के समय वे आसानी से उन्हें फोन कर सकें।

- बिजली से संबंधित

माली मोहल्ला, शिव बाग, अमर पैलेस व गांधी ग्राम में गली के बल्ब व खम्भों को मरम्मत किया गया।

हस्तक्षेप 3– लड़के व पुरूषों को महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने में भागीदारी

3.1 एम्बेसडर प्रशिक्षण

योजना के मुताबिक 32 बस्तियों में लड़के व पुरूषों का समूह बनाया गया और प्रत्येक समूह से

एक युवा का एम्बेसडर के रूप में चयन किया गया। यह एक स्वीकृत विचार धारा है कि लड़के व पुरूषों को महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के

कार्य में शामिल किया जाना चाहिए। इसी विचारधारा के साथ इस कार्यक्रम का एक हस्तक्षेप युवा समूह के साथ जीवन कौशल की समझ बनाते हुए हिंसा को रोकने के लिये तैयार करना था। एम एस यू द्वारा तैयार किये गये मॉड्यूल की मदद से युवा समूह का प्रशिक्षण किया गया। मुलतः विचार मंथन, समूह चर्चा, समूह गतिविधि, गाने, केस स्टडी व वाद विवाद, फिल्म, रोल प्ले के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित किया गया। 3 दिन में कुल 16 घंटे के सत्र संचालित किये गये। प्रशिक्षण में जेन्डर,श्रम विभाजन,मर्दानगी व हिंसा,नशा मुक्ति तथा हिंसा के खिलाफ कदम उठाने के लिये प्रेरित करने पर समझ बनाई गई।

सार :युवाओं को एम्बेसडर के रूप में जोड़ना और हिंसा रोकने के लिये उन्हें प्रेरित करने का अनुभव बेहद रोचक था। इनमें से कुछ युवा जैसे रवि,रिंकु,नरेन्द्र व अरूण आदि प्रशिक्षण के बाद से ही बेहद सक्रिय व समाज में योगदान देने के लिये वास्तव में कटिबद्ध थे। बाद में कुछ और एम्बेसडर एस सी आई के उद्देश्यों से जुड़ें और इंदौर शहर को सुरक्षित बनाने के प्रयास में जुट गए। मगर फिर भी कुछ एम्बेसडर रह गए जो काम में मशरूफियत के चलते इस अभियान में जुड़ना चाह कर भी अपना समय नहीं दे पाए। कुल 30 युवाओं ने एम्बेसडर के तौर पर इस प्रशिक्षण में भाग लिया।

3.2:युवा समूह के साथ नियमित बैठक

युवाओं के साथ गतिविधि के लिये चयनित 32 बस्तियों में युवा समूह के साथ नियमित बैठक आयोजित किये गए। पर युवाओं के साथ बैठक कर पाना जरा मुश्किल था। क्योंकि कुछ बस्तियों में ज्यादातर युवा नौकरी कर रहे थे अतः उन्हें छुट्टी नहीं मिलती थी।

कुछ युवा जो कि दिहाड़ी मजदूर थे, वे छुट्टी के दिन भी काम पर जाते थे ताकि अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें। इसलिये युवाओं को एकत्रित कर बैठक करना,अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था।

सारः एक तरफ युवाओं को संगठित करना चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था तो दूसरी तरफ उन्हें हिंसा रोकने के लिये तैयार करना उर्जापूर्ण व सकारात्मक सोच की तरफ ढालना आसान था। परंतु सीमित समयावधि का कार्यक्रम होने से अधिक परिणाम नहीं मिल सका। यह एक समय लेने वाला कार्य था। खासतौर पर बड़ी तादाद में व्यवहारिक बदलाव लाने के लिये यह समय बेहद कम था। इतने कम समय में युवा मुद्दे को समझ पाए और स्वयं को हिंसक व्यवहार या माहौल से बाहर लाने का प्रयास करने लगे थे। पर सामाजिक दबाव के चलते खुले तौर पर हिंसा का विरोध करना अभी शुरू नहीं हुआ। इस परियोजना के एक साल बाद हम केवल वातावरण निर्माण का चरण पूरा कर पाए हैं ,युवाओं की प्रतिक्रिया व परिणाम को भविष्य में देखा जा सकता है। कुल 2373 युवाओं ने 294 मासिक बैठकों में सहभागिता की।

3.3: युवाओं के लिये एक दिवसीय कार्यशाला

एम्बेसडर प्रशिक्षण के बाद सामुदाय स्तर पर समूह के सभी युवाओं को जेन्डर व हिंसा की समझ बनाने के लिये 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य समुदाय में महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिये व्यापक स्रोत समूह तैयार करना था। इस कार्यशाला का मुख्य मुद्दा जेन्डर, सार्वजनिक स्थानों में हिंसा व जिम्मेदार पुरूष जैसे विषय पर चर्चा के माध्यम से युवाओं को हिंसा का विरोध करने तथा सकारात्मक मर्दानगी का प्रसार करने के लिये प्रेरित किया गया। दो बस्तियों के युवा समूह के सभी सदस्यों के लिये एक स्थान पर यह कार्यशाला आयोजित किया जाता था।

सारः समूह के सभी सदस्यों का जेन्डर व महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दे से परिचय हुआ परिणामस्वरूप सभी की एक जैसी समझ बनी। उन सभी के बीच विचारों में भिन्नता थी,नजरिया भी अलग था।पर जब युवा समूह में एक साथ बैठते,तो सब एक ही दिशा में सोचते कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना है। कभी चर्चा के दौरान कोई सदस्य मुद्दे के विरोध में या गलत बात कह जाता तो बाकी सदस्य उसे सुधारना अपनी जिम्मेदारी मानते। कुल16 में से 14 एक दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें 30 बस्तियों से कुल 342 युवाओं ने भागीदारी की।

3.4: युवाओं के लिये युवा शिविर गतिविधि

युवाओं को प्रेरित करने के लिये कक्षा आधारित प्रशिक्षण उतना कारगर नहीं होता और विशेषकर जब सीखने वाले युवा और संख्या ज्यादा हो। इसलिये युवाओं को जागरूक, प्रेरित व संगठित करने के लिये खेल, प्रतियोगिता व युवा शिविर जैसी गतिविधियां ज्यादा बेहतर माध्यम साबित हुए।

बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ने के लिये 5 बस्ती के युवाओं को एक स्थान पर बड़ी गतिविधि के माध्यम से संगठित करने का प्रयास किया गया। इन युवा शिविरों में विभिन्न गतिविधियों जैसे सुई धागा, साड़ी पहनो व रोटी बनाओ आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों के माध्यम से जेन्डर,श्रम विभाजन व महिलाओं के हिस्से के कार्य को करने के लिये आवश्यक दक्षता की समझ बनाने का प्रयास किया गया। सभी प्रतियोगियों को ईनाम भी प्रदान किया गया।

सारः अपने ही दोस्तों के साथ अकल्पनीय कार्य को प्रतियोगिता के रूप में करना युवाओं के साथ-साथ हमारे लिये भी वास्तव में बेहद मनोरंजक था। लड़कों को साड़ी पहने देखना काफी हास्यप्रद भी था, कोई फिसल कर गिरा तो कोई चलने में असुविधा महसूस कर रहा था। युवाओं के लिये आत्मचिंतन का अवसर था कि कैसे कोई पहनावा एक खास दिशा में किसी के लिये आजादी व आत्मविश्वास का कारण बन सकता है। रोटियों को गोल बनाना भी युवाओं के लिये कम चुनौतीपूर्ण न था।

इन गतिविधियों से युवाओं ने समझा कि रोजमर्रा के घरेलू कार्य को करना इतना आसान नहीं है और इसमें भी एक खास तरह की दक्षता ,समय व उनकी अपेक्षा से अधिक प्रयासों की जरूरत है। 6 युवा शिविरों में कुल 323 युवाओं ने हिस्सेदारी की।

3.5 : युवा समूह के साथ खेल गतिविधि

परियोजना की शुरूआत में युवाओं को ढुंढना,बिठाना व समूह के रूप में जोड़ना बिल्कुल आसान नहीं था क्योंकि वे समूह के तौर पर एकत्रित न होकर बिखरे हुए थे। उनमें ज्यादातर नौकरी कर रहे थे और अपने बचे हुए समय को सामाजिक बदलाव के लिये खर्च करना नहीं चाहते थे। इसलिये उन्हें समीप लाने और परियोजना व मुद्दे से जोड़ने के लिये खेल को जरिया बनाया गया। क्रिकेट,फुटबॉल व अन्य खेल गतिविधियों के माध्यम से उनमें सामूहिकता व सामूहिक प्रक्रिया की समझ पैदा की गई।

सार : लड़कों व पुरूषों को इस परियोजना से जोड़ना वाकई बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। उन्हें कार्यक्रम से जोड़ने के लिये उनके साथ खेलना व समय बिताने का विचार एकदम कारगर उपाय साबित हुआ। खेलने के लिये एकजुट होते-होते वे कार्यकर्ता व कार्यक्रम, दोनों के करीब आ गये।

1.4: समूह सदस्यों को मिला प्रोत्साहन किट

युवा समूह के सभी सदस्यों एक साथ जोड़े रखने के उद्देश्य और खेल के माध्यम से एकजुटता व बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हुए भविष्य को सुरक्षित करने के लिये सभी समूहों को खेल सामग्री भेट किया गया। क्योंकि यह खेल ही था जिसके चलते परियोजना के प्रसार में युवाओं की उर्जा का सकारात्मक उपयोग किया जा सका। साथ ही युवा समूह के प्रत्येक सदस्य को एक डायरी भी दी गई। ताकि इस परियोजना से जुड़कर जेन्डर व हिंसा पर बनी समझ, सीख व बदलाव के अनुभव व भावनाओं को वे इसमें लेखबद्ध कर सकें।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने में लड़के व पुरूषों की भागीदारी की

उपलब्धियां व सीख

- शहर को महिलाओं के लिये सच में हिंसा मुक्त व सुरक्षित बनाने के लिये 30 युवा व उर्जावान एम्बेसडरों का स्रोत समूह तैयार हुआ।
- युवा, जेन्डर की अवधारणा को समझकर व्यवहार में बदलाव की ओर अग्रसर हुए हैं। व्यवहारगत कुछ बदलाव फॉलोअप संपर्क के दौरान देखे गए। युवाओं ने बताया कि उन्होंने अपने परिवार में घर की महिला सदस्यों को घरेलू कामों जैसे पानी भरना, अपने कपड़े धोना आदि में मदद करना शुरु कर दिया है।
- बैठकों के कारण युवा एक दूसरे से जुड़ाव बना पाए और अब वे महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे हैं।

- बस्ती में जागरूकता के प्रसार के लिये युवाओं ने विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने लगे हैं।

युवाओं के साथ गतिविधि का माहवार विवरण

हस्तक्षेप 3– युवाओं के साथ महिला हिंसा को रोकने हेतु गतिविधि																		
		2014					2015											
गतिविधि	लक्ष्य	सि14 से पहले	सि	अ	नं.	दिं	ज	फ	मा	अ	म	जू	जू	अ	सि	अ	न	कुल
युवा समूह की बैठक	320	0	0	0	27	35	22	17	24	17	19	21	22	28	23	18	21	294
युवा कार्यशाला 1 दिवसीय	16	0			1	3					2	3		2	2	1	0	14
एम्बेसडर प्रशिक्षण	1	0			1													1
युवा इवेंट	6	0									1	1		1	1	1	1	6

बदलाव की एक झलक

सन्नी अपने नाम के अनुरूप ज्ञान की रौशनी फैला रहा है।

सन्नी को बजरंग नगर में एम्बेसडर के तौर पर चुना गया। सामाजिक मुद्दों के प्रति पहले से उसकी सक्रियता तो थी, मगर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर कभी काम नहीं किया था। एम्बेसडर

प्रशिक्षण के बाद सन्नी ने न सिर्फ इस मुद्दे को गहराई से समझा बल्कि इस पर काम करना भी शुरू कर दिया। वह जब भी अपने दोस्तों या परिचितों के बीच बैठता हिंसा पर चर्चा छेड़ देता। इसके अलावा उसे जब भी कहीं हिंसा की घटना का पता चलता है, वह फौरन वहां पहुंचकर इसे रोकने का प्रयास करता है यह सोचे बगैर कि हिंसा करने वाला कौन है। उसकी बस्ती व आसपास की बस्तियों के कुछ लड़के स्कूल जाने वाली लड़कियों को छेड़ते थे। वो लड़के गली के कोनों व नुक्कड़ पर खड़े होकर लड़कियों का इंतजार करते और फिर अभद्र टिप्पणियां करते थे। सन्नी ने उनसे व उनके अभिभावकों से बात की। कुछ लड़कों ने सन्नी की बात समझी और वादा किया कि अब वे छेड़छाड़ नही करेंगे। इन लड़कियों के माता-पिता ने भी अब राहत की सांस ली है कि सन्नी के कारण उनकी बेटियां सुरक्षित हैं। सन्नी ने दूसरे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिये एड इम्पैक्ट की टीम के सामने नाटक भी किया जिससे सभी इस मुद्दे पर संवेदनशील बनें। अब महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकना ही सन्नी के जीवन का लक्ष्य बन गया है। उसका मानना है कि 'महिलाओं को हिंसा से सुरक्षित किये बिना इंदौर स्मार्ट शहर नहीं बन सकता। '

हस्तक्षेप 4 महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिये नीतिगत स्तर पर भागीदारी

अंर्तविभागीय बैठक

4.1 अंर्तविभागीय बैठक

यह पहले ही नियोजित था कि विभागों के बीच आपसी तालमेल से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने का प्रयास किया जाना था। इसके तहत पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभाग के साथ समन्वय करना था ताकि नीतिगत बदलाव को बढ़ाया जा सके। सुरक्षित शहर के लिये एक पहल के तहत निम्न अंर्तविभागीय बैठक आयोजित किये गये :–

4.1 महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ अंर्तविभागीय बैठक

महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ सुरक्षित शहर के लिये एक पहल की टीम ने अंर्तविभागीय बैठक आयोजित की जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सुपरवाईजर को अपने स्व सहायता समूह के साथ जोड़ा जाए ताकि महिलाएं घरेलू हिंसा की सीधे रिपोर्टिंग कर सकें।

अ एन यू एल एम के साथ अंर्तविभागीय बैठक

एन यू एल एम व नगर निगम के साथ दो बैठकें आयोजित की गई। जिसमें मुख्यतौर पर गरीबी रेखा वाले परिवारों के लिये आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। 6 दिसंबर व 17 जनवरी को आयोजित बैठकों में चयनित संस्थाओं के साथ श्री शहजाद आजीविका विशेषज्ञ भी शामिल हुए। इस बैठक में शौचालय सर्वे पर भी चर्चा हुई।

ब. स्मार्ट सिटी टीम के साथ अंर्तविभागीय बैठक

स्मार्ट सिटी टीम के साथ अंर्तविभागीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सेफ्टी ऑडिट से चिन्हित असुरक्षित स्थानों व कारकों को साझा किया गया। इस चर्चा से यह तय हुआ कि इन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा ताकि स्मार्ट सिटी महिलाओं के लिये पूर्णतः सुरक्षित हो।

स. कॉमन वेल्थ टीम के साथ बैठक

23 व 24 फरवरी को कॉमन वेल्थ से सुश्री अनुया कंवर (साउथ एशिया की रीजनल डायरेक्टर) , श्री सुनील सिंग (डिप्यूटी कमिश्नर यू ए डी डी),नोडल अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह चौहान व श्री शहजाद आजीविका विशेषज्ञ ने एस सी आई की पूरी टीम व एन यू एल एम के साथ बैठक की। इसके पश्चात उन्होंने राम नगर व मंसब नगर में स्व सहायता समूह के सदस्यों से मिलकर आजीविका पर चर्चा की।

सारः योजनाओं के सम्मिलन के लिये विभागों के साथ समन्वय बैठक का आयोजन एक महत्वपूर्ण कदम था। यह एक अच्छा अनुभव था कि कॉमन वेल्थ या स्मार्ट सिटी टीम या एन यू एल एम, सभी ने न सिर्फ महिलाओं के खिलाफ हिंसा व महिला सशक्तीकरण के मुद्दे को महत्व दिया बल्कि अपने नियोजन में शामिल भी किया। हमारे पर्पल समूह को महिला एवं बाल विकास विभाग के शौर्या दल से जोड़ दिया गया है। हमारे समूह के सदस्य पुलिस के साथ गश्त करके समुदाय को महिलाओं के लिये सुरक्षित बना रहे हैं। सेडमेप ने परियोजना से हाथ मिलाया है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये। उम्मीद है कि आने वाले समय में महिला शक्ति और भी विभागों से तालमेल बढ़ाकर शहर का परिदृश्य बदलने में कामयाब होंगी।

4.2 पुलिस के साथ कार्यशाला :-

ए आई सी टी एस एल में 6 नवंबर को पुलिस विभाग के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों का, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर उन्मुखीकरण किया गया। स्वसहायता समूह के सदस्यों ने हिंसा रोकने पर केन्द्रित गतिविधि वाली 21 बस्तियों में किये गये सेफ्टी ऑडिट की प्रक्रिया व परिणाम को पुलिस वालों के साथ साझा किया।

उन्होंने खासतौर पर असुरक्षित स्थानों व पुलिस के द्वारा हल किये जा सकने वाली समस्याओं के बारे में उनसे चर्चा की। इस कार्यशाला का नोडल अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह चौहान द्वारा समन्वयन किया गया जिसमें अतिरिक्त आयुक्त श्री रोहन सक्सेना मुख्य अतिथि के रूप में मौजुद रहे। कार्यशाला का सहजीकरण मनीषा तैलंग के नेतृत्व में सेफ सिटी टीम के द्वारा किया गया।

सारः इस कार्यशाला के माध्यम से सेफ सिटी कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा पुलिस विभाग के सामने प्रस्तुत की गई। साथ ही एक वृहत समस्या के रूप में पसर रही महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया।उन्हें महिलाओं द्वारा सामना किये जा रहे समस्याओं से अवगत कराते हुए ,समस्या को हल करने में पुलिस की भूमिका को रेखांकित किया गया। मुलतः यह एक गठबंधन की प्रक्रिया थी जो कि पुलिस को सुरक्षा व समुदाय के मुद्दों से जोड़ते हुए पूरा किया गया। सभी पुलिस अधिकारियों ने महिला समूहों को मदद करते हुए बस्ती व शहर को सुरक्षित बनाने व पूरे शहर को अपराधमुक्त करने का वादा किया। कुल10 थाना प्रमुख, समूह की 16 सदस्यों व संस्था पहल के सचिव, बी जी एम एस के प्रतिनिधि के साथ सिटी टीम व सेफ सिटी की पूरी टीम मौजुद थी।

4.3 वाहन चालकों के साथ कार्यशाला :

होटल अमर विलास में 7 नवंबर को ऑटो, सिटी बस,टाटा मैजिक व वैन के चालकों के लिये एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों को महिलाओं के खिलाफ हिंसा व उनकी सुरक्षा के मुद्दे पर संवेदित करना था। इस कार्यशाला में वाहन चालकों को जेन्डर, हिंसा के बारे में मिथक व सत्य तथा सार्वजनिक स्थानों पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानून से परिचित कराया गया। समूह गतिविधि, खुली चर्चा के साथ ही पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कार्यशाला का संचालन किया गया। सभी चालकों ने कार्यशाला के दौरान महिलाओं को सुरक्षित बनाने व महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने हेतु बेहद कीमती सुझााव दिये। कार्यशाला में श्री सूरज कैरो पार्षद सदस्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यशाला का समन्वयन नोडल अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह चौहान व सहजीकरण डॉ.मनीषा तैंलंग, सुश्री अनुपा व श्री वसीम के द्वारा किया गया।

सारः यह कार्यशाला आपस में चर्चा के माध्यम से संचालित किया गया था इसलिये इसका परिणाम भी बेहद रोचक रहा। कार्यशाला के आरंभ में चालकों ने महिला सुरक्षा से संबंधित अपने विचार पर्चे पर लिखकर कागज पर चस्पा किये। उनकी सोच के मुताबिक महिलाओं के छोटे व अव्यवस्थित कपड़े, शराब आदि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के कारण थे। पर चर्चा के बाद उन्होंने माना कि हिंसा का मुख्य कारण जेन्डर आधारित भेदभाव व पितृसत्ता है।

महिलाओं को सुरक्षित बनाने के लिये चालकों ने बेहद महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये जैसे गाड़ी में सुरक्षा अलार्म व जी पी एस लगाना या सहयोगी नंबर लिखना आदि। इसके क्रियान्वयन से महिलाएं वास्तव में कुछ हद तक सुरक्षित हो सकती हैं।

महिला सुरक्षा को बढ़ाने के लिये वाहन चालकों ने निम्न विशेष सुझाव दिये -

- बसों में गर्भवती महिलाओं के लिये अलग से आरक्षित विशेष सीट होना चाहिये।
- आपातकालीन स्थित के लिये हेल्पलाईन नंगर व अलार्म की व्यवस्था गाड़ी में होनी चाहिये।
- वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में महिला व पुरूषों की सीट अलग-अलग होनी चाहिये।
- बस या ऑटो स्टैंड के आस पास शराब दुकान को प्रतिबंधित करना चाहिये।
- गाड़ में ड्राईवर का केबिन अलग होना ही चाहिये और यदि ड्राईवर शराब पिये हुए हो तो किसी को उस गाड़ी में नहीं बैठना चाहिये।

सभी चालकों ने महिला सवारी को ध्यान देते हुए सुरक्षा का ख्याल रखने का वादा किया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मौजुदगी में कोई भी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न नहीं कर सकेगा। कुल 92 वाहन चालक, समूह की 10 महिला सदस्य,17 सेफ सिटी टीम के सदस्यों के साथ बी जी एम एस व पहल संस्था के प्रमुख ने कार्यशाला में सहभागिता की।

अन्य गतिविधियां

A. स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ शहर अभियान

स्वच्छ भारत अभियान (प्रधानमंत्री द्वारा घोषित) के तहत सेफ सिटी टीम ने बस्तियों में सफाई अभियान का आगाज़ किया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 40 बस्तियों में महिलाओं को स्वच्छता के मुद्दे पर जागरूक किया गया। इस अभियान में ''**स्वच्छ घर, स्वच्छ समुदाय ही स्वच्छ शहर बना सकता है**'' का संदेश दिया गया। कुछ बस्तियों में जैसे चौधरी पार्क, भील पल्टन, गांधी ग्राम, बड़ला, बजरंगपूरा, मारूति नगर, अमर पैलेस, गंगा बाग व माली मोहल्ला में बस्ती वालों को सफाई जारी रखने के लिये हस्ताक्षार अभियान भी चलाया। साथ ही सबने अपनी बस्ती को साफ रखने की शपथ भी ली। सफाई मित्र को मोमेन्टों के रूप में फूल भी दिया गया। बस्ती के सभी लोग खासतौर पर महिलाएं स्वैच्छिक तौर पर स्वच्छता अभियान में खुशी-खुशी हिस्सा ले रही थीं ।

B महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने हेतु अंर्तराष्ट्रीय अभियान :

25 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने हेतु चलने वाले अंर्तराष्ट्रीय अभियान के दौरान सेफ सिटी टीम द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पालिका प्लाजा परिसर में इस अभियान का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में दर्शकों और अखबार के साथियों को अभियान के इतिहास से परिचित कराया गया। इसके बाद प्लेसमेंट पर आये विार्थियों द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर एक नाटक का मंचन किया गया। यह नाटक हिंसा के चक्र,उसके असर और इसे रोकने के लिये उठाये गये सकारात्मक कदम को दर्शाते हुए प्रस्तुत किया गया। लोगों ने इसे बेहद सराहा।

C. बिगुल,मानव अधिकार दिवस के अवसर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने हेतु

हर व्यक्ति को मानव अधिकार का महत्व समझाने और मानव अधिकार के हनन के खिलाफ लड़ी

जाने वाली हर लड़ाई को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 10 दिसंबर, मानव अधिकार दिवस पर बड़े युवा महोत्सव का आयोजन किया गया।

मानव अधिकार को संरक्षित करने के महती उद्देश्य की पूर्ति और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को मानव अधिकार के हनन के रूप में मानते हुए बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम के माध्यम से इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में नाटक, खेल, गीत व मानवश्रृंखला के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया।

D.कॉमन वेल्थ के एल ई डी इनीसिएटीव पर एक दिवसीय कार्यशाला :

16 मार्च 2015 को होटल रेडीसन में कॉमन वेल्थ कार्यक्रम द्वारा स्थानीय आर्थिक विकास पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इसका मुख्य उद्देश्य पार्षदों व नगर निगम के अधिकारियों को कॉमन वेल्थ कार्यक्रम से परिचित कराते हुए आर्थिक सशक्तीकरण के रास्ता सुझाने का था। कार्यशाला का समन्वय कॉमन वेल्थ की सुश्री अनुया कंवर ने एम पी यू आई आई पी के डेप्यूटी कमिश्नर श्री सुनील सिंह ,श्री शहजाद खान (आजीविका विशेषज्ञ,एम एस यू), श्री अजय सिंह अध्यक्ष नगर निगम, सेफ सिटी टीम व माली मोहल्ला व मंसब नगर की समूह सदस्य की उपस्थिति में किया।

E. शौचालय रहित घरों का सर्वेक्षण

नवंबर–दिसंबर 2014 में सेफ सिटी की बस्तियों में शौचालय रहित घरों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा करने की योजना बनाई गई। आगे की कार्यवाही के लिये इस सर्वेक्षण का रिपोर्ट नगर निगम को सौंप दिया गया।

F.सुश्री अरुन्धति राय (डी एफ आई डी हेड) का भ्रमण

14 अगस्त 2015 को सुश्री अरुन्धती रॉय व डॉ.मनीषा तैलंग सेफ सिटी इंदौर का मूल्यांकन करने आए। सेफ सिटी टीम के साथ बैठक के बाद कुम्हारखेड़ी, अमर पैलेस व शिव बाग बस्ती का भ्रमण कर महिलाओं से मुलाकात कर परियोजना के कार्य का जायजा लिया।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर जनता के बीच जानकारियों का प्रचार–प्रसार

A. महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर नाटक का मंचन :

एम पी यू आई आई पी द्वारा चयनित विजन फोर्स संस्था द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर नाटक का मंचन इंदौर की 53 बस्तियों में किया गया। नाटक का मंचन जुलाई–अगस्त में किया गया।

B. दीवारों पर नारा लेखन

महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के संदेश के प्रचार प्रसार के लिये सभी 53 बस्तियों में दीवारों पर नारा लेखन किया गया। यह एक तरह से अभियान का हिस्सा था जो बस्ती के लोगों द्वारा बेहद सराहा गया।

C जागरूकता रथ :-

हर साल नगर निगम अनंत चर्तुदशी पर झांकी का आयोजन करती आई है। इन्दौरियों के लिये यह एक बड़ा आयोजन होता है जिसे लाखों की तादाद में लोग देखने के लिये आते हैं।

इसलिये इस अवसर का लाभ लेते हुए अपना संदेश प्रसारित करने करने के उददेश्य से **जागरूकता रथ** (झांकी) तैयार किया गया। 27 सिंतंबर 2015 को अनंत चर्तुदशी पर जागरूकता रथ (झांकी) इंदौर शहर में निकली और आमजन को महिला हिंसा को रोकने के लिये प्रेरित करते हुए एक विशेष छाप छोड़ गई।

सारः आमजन को अपराध से जुड़े कानून के साथ–साथ समानता की अवधारणा को जानने का मौका जागरूकता रथ के दौरान मिला। इस जागरूकता रथ के बाद संस्था के पास हिंसा से जुड़े अनेकों मामले आने लगे हैं जिसे संस्था अपने स्तर पर हल कर रही है। इंदौर व आसपास के गांव के लगभग 2 लाख लोगों ने इस जागरूकता रथ को देखा और हिंसा के खिलाफ जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर परियोजना टीम ने पर्चा व ब्रोशर के माध्यम से लोगों के साथ अपना संपर्क स्थापित किया। प्रशासन व अन्य संस्थाओं की तरफ से इसके लिये प्रमाणपत्र भी प्राप्त हुआ।

d. आई सी ए आई का भ्रमण

इंडीपेन्डेन्ट कमीशन ऑफ एड इम्पैक्ट, यूके सरकार, डी एफ आई डी के द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिये किये जा रहे ग्लोबल प्रयासों को समझने व उससे मिली सीख को जानने के लिये **भारत** आई। डी एफ आई डी के चारो जिलों में चल रहे **सेफ सिटी कार्यक्रम** में से **इंदौर** को इस भ्रमण के लिये चुना गया।

सबसे पहले एम एस यू के साथ बैठक में उन्होंने 4 जिलों में चलाये जा रहे सेफ सिटी कार्यक्रम के बारे में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जाना। उसके पश्चात उनके सामने **सी एस एजेंसी** द्वारा इंदौर में सेफ सिटी की **उपलब्धि व सीख** का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। बैठक व चर्चा से बाहर आने के बाद पूरी टीम **पर्पल समूह** के कार्य व समूह के रूप में उनके विकास को समझने के लिये कुम्हारखेड़ी पहुंची। वहां से टीम सीधे गांधी हॉल पहुंची जहां युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। युवा महोत्सव में रोटी बनाने,साड़ी पहनने व भंवरा चलाने की प्रतियोगिता रखी गई थी।

आई सी ए आई कमिश्नर सुश्री टीना फहम, ने महिला हिंसा के अलग-अलग पहलुओं को दर्शाते पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया जो आमजनता में संदेश का प्रसार करने की दृष्टि से बनाये गये थे। इसके बाद **सुश्री टीना फहम** व **श्री पीटर** ने पूरे समूह को संबोधित किया और सभी को कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन व उपलब्धियों के लिये बधाई व शुभकामनाएं दी। अतिरिक्त आयुक्त श्री रोहन सक्सेना व नोडल अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह चौहान ने टीम के साथ कार्यक्रम का समन्वय किया।

सारः आई सी ए आई टीम ने सेफ सिटी इंदौर के प्रयासों को सराहा और सेफ सिटी इंदौर ने भी अपने कार्यों की बेहतर प्रस्तुति दी। सेफ सिटी टीम के प्रयासों का एम एस यू, नगर निगम व आई सी ए आई टीम द्वारा मूल्यांकन किया गया और सभी ने हर स्तर पर प्रशंसाजनक बताया।

नीतिगत भागीदारी की उपलब्धि व सीख

- **अंर्तविभागीय बैठकों से महिला हिंसा को रोकने के लिये एक सकारात्मक माहौल निर्मित हुआ।**
- **इंदौर को वास्तव में सुरक्षित बनाने के लिये व्यापक स्तर पर जागरूकता का प्रसार किया गया।**
- **मुख्यमंत्री हेल्पलाईन का प्रचार-प्रसार किया गया और ज्यादातर स्व सहायता समूहों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिये उनसे संपर्क भी किया।**
- **मुख्यमंत्री हेल्पलाईन पर संपर्क करने पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के चलते बहुत सी समस्याएं हल भी हुईं।**

www.naidunia.com महानगर नईदुनिया 05

तीन बस्तियों का होगा विकास

इंदौर। डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी) के तहत शहर की तीन बस्तियों में विकास कार्य कराए जाएंगे। नगर निगम महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे 'एक पहल' कार्यक्रम के तहत वहां सबसे पहले पीने के पानी की समस्या दूर करेगा। निगम जलकार्य समिति प्रभारी बलराम वर्मा ने बुधवार को पार्षद उस्मान पटेल और नर्मदा प्रोजेक्ट के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव के साथ सूर्यदेव नगर की सेवा बस्ती, मां भगवती नगर और बापू गांधी नगर का दौरा किया। प्रभारी ने बताया कि 'एक पहल'

सबसे पहले पानी की समस्या दूर करेगा निगम

कार्यक्रम के तहत पता चला है कि बस्तियों में महिलाओं को असुरक्षा लगती है। इसके अलग-अलग कारणों में बस्तियों के आसपास पीने की पानी की उपलब्धता नहीं होना भी पाया गया है। महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। अब निगम बस्तियों में पानी उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता से काम करेगा। इसके लिए नर्मदा प्रोजेक्ट के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

- **सभी आवश्यक सहायक नंबर्स बस्तियों में प्रसारित किये गये जिसे कि महिलाओं के द्वारा समस्याओं के निष्पादन हेतु उपयोग भी किया जाने लगा है।**
- **महिला समूहों को कर्मठ व जागरूक समूह के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। चारो तरफ यह भी खबर है कि अब बस्ती में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।**
- **नगर निगम ने पानी की समस्या को हिंसा के मुख्य कारणों में से एक मानते हुए इस पर विशेष ध्यान देते हुए काम करने का एलान किया है।**

प्रगति सूचक तालिका

हस्तक्षेप 4 – नीतिगत भागीदारी																		
		2014					2015											
गतिविधि	लक्ष्य	सि.14 से पहले	सिं	अ	न	दि	ज	फ	मा	अ	म	जू	जू	अ	सि	अ	न	कुल
अंर्तविभागीय बैठक	4	0				1						1				1	1	4
शहरी प्रशासन के साथ कार्यशाला	1	0																0
वाहन चालकों के साथ संवेदनशील कार्यशाला	1	0															1	1
पुलिस के साथ कार्यशाला	1	0															1	1
शौचालय सर्वेक्षण	53	0				0	30	11	2	10								53
एन यू एल एम शिविर	11	0				2	6	3	0									11
नाटक का मंचन	53												23	30				53
दीवार लेखन	53																53	53
जागरूकता रथ	1														1			1

चुनौतियां जिसका सामना कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान समुदाय सहयोगी संस्था को करना पड़ा

- **स्वसहायता समूहों का चयन**– सेफ सिटी परियोजना के मुख्य कारक महिला समूह थे जिनका चयन न्यू कांसेप्ट संस्था के द्वारा किया गया था। इंदौर में स्वसहायता समूह की उपस्थिति व स्थिति बहुत कमजोर थी। खासतौर पर जितने भी स्वसहायता समूह मौजुद थे वे ज्यादातर माइक्रो फायनेंस समूह के रूप में थे न कि स्वसहायता समूह।
- **माइक्रो फायनेंस समूह / स्वसहायता समूह** – जिन बस्तियों में माइक्रो फायनेंस समूह थे उन्हें स्वसहायता समूह में परिवर्तित करना था। इसलिये माइक्रो फायनेंस समूह को स्वसहायता समूह के रूप में काम करने व महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर काम करने के लिये तैयार किया गया। एम एफ आई में हमेशा ही सदस्यों की निरंतरता की समस्या बनी रहती है इसलिये समूह में सदस्य लगातार छोड़ते गए और बदले भी।

- **संबंधित संस्थाओं की अनुमति** – कुछ एम एफ आई दूसरी संस्थाओं द्वारा बनाये गए थे। जो कि उन्हें इस कार्यक्रम में जोड़ना नहीं चाहते या एस एच जी में नहीं बदलना चाहते थे। साथ ही कुछ समूहों के बैंक में खाता नहीं थे और ना ही वे खुलवाना चाहते थे। इसकी वजह से समूहों के बैंक से जुड़ाव में समस्या आई।
- **समय अवरोध**– किसी भी समूह को तैयार करने में समय लगता है चाहे वो महिला समूह हो या युवा समूह। पर इस परियोजना में समय सीमित था। एक तो समय कम उस पर से तय गतिविधियां,जो इसी समय सीमा में खत्म करनी थी। ऐसे में यदि नगर निगम या एम एस यू से समय पर सहमति मिल जाती तो कार्यक्रम का लक्ष्य आसानी से पूरा हो सकता था। परंतु समय की कमी व अनुमति मिलने में हुई देरी से कार्य प्रभावित हुआ।

- **गतिविधियों का समय व स्थान –** चुनावी आचार संहिता के कारण कार्यक्रम व अधिकारी दोनों प्रभावित हुए। इसके अलावा कभी बारिश ने तो कभी त्यौहारों के कारण समुदाय के लोग समय नहीं दे पाए या गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाए। इन सभी कारणों से समूहों का गठन व अन्य गतिविधियां बाधित हुईं व आगे टल गईं।
- **युवाओं को शामिल करना**– बेसलाईन सर्वे से पहले ही युवा समूह बना दिये गए थे। सदस्यों की पहचान ,गठन व उन्हें समुदाय स्तर पर गतिविधि के आयोजन में जोड़ने के बीच अच्छा खासा अंतराल हो गया था। परिणामतः उनके अंदर से इस कार्यक्रम के प्रति जुड़ाव की इच्छा लगभग समाप्त सी हो गई थी। इससे युवाओं में समूह छोड़ने या सदस्यों में बदलाव का दर भी बढ़ गया।

- **दलगत राजनीति –** ज्यादातर पार्षदों ने इस परियोजना में कोई रूचि नहीं दिखाई। परंतु कहीं –कहीं जब पार्षद इसमें रूचि ले रहे थे तो विपक्षी पार्टी वाले उनके विरोध में कार्य नहीं होने देने का प्रयास करते थे। वे इस तरह सत्तारूढ़ पार्टी की छवि खराब करना चाहते थे।
- **समुदाय के लोगों का अविश्वास या रोष दिखाना–** समुदाय के लोगों में विभाग के ढुलमुल रवैये और धीमी प्रतिक्रिया के चलते एक तरह का रोष भर गया था जो उनमें कार्यक्रम के प्रति अविश्वास पैदा कर रहा था। जैसे कि शौचालय विहीन घरों का सर्वेक्षण दिसंबर 14 में हो गया था और सूची नगर निगम को सौंप दी गई थी पर परियोजना के अंत में दिसंबर 15 तक भी कोई कार्यवाही आरंभ नहीं हुई। इसी तरह से रोजगार परक अनेकों ऋण के आवेदन जमा करवाए गये थे, पर लगभग साल की समाप्ति तक कोई प्रगति नहीं हुई जिसकी वजह से लोगों में अविश्वास बढ़ा है।

- **अनुमोदन –** इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था हर गतिविधि को नगर निगम व एम एस यू से अनुमोदित कराना। हालांकि एम ओ यू में सारे कार्यक्रम विस्तार से लिखे थे परंतु फिर भी हर छोटी बड़ी गतिविधि में अनुमति या सुझाव लेने के लिये बहुत मशक्कत करनी पड़ी और इसकी देरी से परियोजना बहुत प्रभावित हुई।
- **कमाई का मामला–** बहुत से स्व सहायता समूह या युवा समूह के सदस्य नौकरी करते थे जिसके चलते वे एफ एल या मासिक बैठक में शामिल नहीं हो पाते थे। यहां तक कि वे रविवार या छुट्टी के दिन भी समय नहीं देना चाहते थे।

सारांश

सुरक्षित शहर के लिये एक पहल परियोजना के माध्यम से हमने एक ऐसा वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जो महिलाओं के हिंसा के लिये कोई विकल्प नहीं देता। एक तरफ महिलाओं को हर समय हिंसा का उच्चतम स्तर का डर सताता है तो दूसरी तरफ सार्वजनिक स्थानों पर यौनिक हिंसा का खतरा भी बना रहता है। इसका कारण इन स्थानों की संरचना सही न होना, सही व पूरा रखरखाव न होना या उस स्थान का वीरान होना है। इसके अलावा इंदौर में बहुत सारी महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर कार्य करती हैं जैसे कि पाथ विक्रेता या मनीहारी आदि का काम और कुछ तो सड़कों पर ही रहती हैं,वह भी असुरक्षा के दायरे में हैं।

इसके लिये सुधार की दृष्टि से किया गया नियोजन जैसे कि अंधेरी जगह पर बिजली की व्यवस्था, बाउंड्रीवाल को हटाना या मरम्मत करना, गलियों में सी सी टी वी कैमरा लगवाना। साथ ही खोमचे वालों के हित में नीतियां बनाकर भी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है।

कार्यक्रम के माध्यम से निम्न विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया :–

☞ बहु आयामी दृष्टिकोण अपनाकर लैंगिक असमानता एवं महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देना।

☞ जेन्डर एवं महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में युवकों व पुरूषों का सकारात्मक रवैया व व्यवहार में आये सकारात्मक बदलाव को प्रभावित करना।

☞ सेवा प्रदाता संस्थानों एवं समुदाय की महिलाओं के बीच जुड़ाव स्थापित करना।

☞ यू.एल.बी. के स्तर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने के लिये समर्थ वातावरण का निर्माण करना।

☞ सेवाओं के बेहतर निष्पादन के लिये नीतिगत पैरवी।

पूर्ण किये गये संख्यात्मक संकेतांक

क्र	श्रेणी	गतिविधि	संख्या	पूर्ण	हितग्राही	टिप्पणी
1	स्व सहायता समूह संवर्धन	वित्तीय साक्षरता के कुल 13 सत्र = 1 परिचय सत्र + 12 सत्र	546	546	7119	110 एफ एल सिटी टीम के द्वारा तथा शेष 436 सी एस एजेंसी द्वारा किये गये।
2		प्रति समूह 2 पदाधिकारियों को लेखाजोखा प्रशिक्षण	4	4	129	
3		प्रति समूह 1 सदस्य का बैंक से जुड़ाव हेतु कार्यशाला में भागीदारी	2	2	47	
4		नियमित साप्ताहिक व मासिक बैठकें	546	546+ 242	7498	जारी
5		एक्सपोज़र भ्रमण	3	3	71	
		समूह सदस्यों के लिये आजीविका प्रशिक्षण	3	3	181	
6	महिला हिंसा की समाप्ति हेतु स्वसहायता समूहों का संवर्धन	जेन्डर व महिला हिंसा पर एनीमेटर्स के लिये 3 दिवसीय प्रशिक्षण	2	2	81	कुल 84 एनीमेटर्स प्रशिक्षित
7		महिला हिंसा से निपटने के कौशल पर 2 दिवसीय दो प्रशिक्षण	2	2	68	शेष सदस्यों को समुदाय स्तर पर जी बी वी के दौरान प्रशिक्षित किया गया
8		सुरक्षा जांच (सेफ्टी ऑडिट)	21	21	416	इंटरफेस बैठक से जोड़ा गया
9		6 महिला हिंसा पर अवधारणात्मक सत्र	126	120	1919	
10		जेन्डर आधारित हिंसा पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण	21	17	428	
11		10 इंटरफेस बैठक प्रति बस्ती	210	132	1038	
		3 सहायक कौशल प्रशिक्षण	3	3	109	
12	महिला हिंसा की समाप्ति हेतु लड़कों व पुरुषों की भागीदारी	जेन्डर व महिला हिंसा पर एम्बेसडर्स के लिये 3 दिवसीय प्रशिक्षण	1	1	30	30 एम्बेसडर्स प्रशिक्षित
13		1 दिवसीय कार्यशाला युवा समूह के सभी सदस्यों के लिये	16	14	342	
14		अंर्तबस्ती इवेंट	6	6	323	
15		नियमित मासिक बैठक	320	294	2373	जारी
16	महिला हिंसा की समाप्ति हेतु नीतिगत भागीदारी व विभिन्न विभागों में समन्वयन	स्थानीय निकाय के लिये जिला स्तरीय कार्यशाला	1	0	-	
17		अंर्त विभागीय बैठकें	4	4	120	
18		वाहनपरिचालकों के साथ जेंडर व महिला हिंसा पर 1 दिवसीय कार्यशाला	1	1	119	
19		पुलिस के साथ जेंडर व महिला हिसां पर 1 दिवसीय कार्यशाला	1	1	50	
20	अन्य गतिविधि	बिगुल मेगा यूथ इवेंट	1	1	+580	
21		जागरूकता रथ	1	1	200000	
	कुल		1841	1724+ 242 = 1966	2,23,041	

विवरण

स्व सहायता समूह संवर्धन गतिविधी विवरण

गतिविधी	तारीख	स्थान	सहजकर्ता	सहभागी
लेखांकन व दस्तावेज संधारण प्रशिक्षण 1	14-16 मई 2015	सैफी हॉल इन्दौर	लोकेन्द्र राव जाधव शहजाद खान व अंशुल चर्तुवेदी	34
लेखांकन व दस्तावेज संधारण प्रशिक्षण 2	18-20 मई 2015	सैफी हॉल इन्दौर	लोकेन्द्र राव जाधव व अंशुल चर्तुवेदी	42
लेखांकन व दस्तावेज संधारण प्रशिक्षण 3	20-22 अगस्त 2015	सैफी हॉल इन्दौर	लोकेन्द्र राव जाधव व अंशुल चर्तुवेदी	28
लेखांकन व दस्तावेज संधारण प्रशिक्षण 4	5-7 अक्टूबर 2015	डी एफ आई डी लर्निंग सेन्टर	लोकेन्द्र राव जाधव व अंशुल चर्तुवेदी	25
बैंक लिंकेज कार्यशाला 1	22 अगस्त 2015	सैफी हॉल इन्दौर	लोकेन्द्र राव जाधव व अंशुल चर्तुवेदी	35
बैंक लिंकेज कार्यशाला 2	20 अक्टूबर 2015	डी एफ आई डी लर्निंग सेन्टर	लोकेन्द्र राव जाधव व अंशुल चर्तुवेदी	12
आजीविका विकास प्रशिक्षण -1	31 अक्टूबर से 5 नवंबर	मौनी बाबा आश्रम	सेडमैप के स्रोत व्यक्ति	75
आजीविका विकास प्रशिक्षण -2	31 अक्टूबर से 5 नवंबर	बजरंगपूरा कम्यूनिटी हॉल	सेडमैप के स्रोत व्यक्ति	66
आजीविका विकास प्रशिक्षण-3	2-7 नवंबर 2015	रहबर हॉल	सेडमैप के स्रोत व्यक्ति	40
एक्सपोजर भ्रमण	13 सितंबर 2015	जनसाहस सोनकच्छ	जनसाहस स्टाफ	71

विवरण

लड़के व पुरूषों के साथ जीवन कौशल गतिविधी विवरण

गतिविधी	तारीख़	स्थान	सहजकर्ता	सहभागी	टिप्पणी
युवा एम्बेसडर प्रशिक्षण	5-7 नबंबर 2014	सैफी हॉल इंदौर	अनुपा व प्रवीण गोखले एवं संदीप नाईक	32	
युवा कार्यशाला 1	30 नवंबर 2014	न्यू लाईफ स्कूल ,मारूति नगर	अनुपा	30	मारूति नगर व भेलेनाथ कालोनी
युवा कार्यशाला 2	7 दिसंबर 2014	कम्यूनिटी हॉल भील पल्टन	अनुपा	32	भील पल्टन व अमन नगर
युवा कार्यशाला 3	14 दिसंबर 2014	कम्यूनिटी हॉल , देवश्री नगर	अनुपा	25	देवश्री नगर व गणेशधाम
युवा कार्यशाला 4	28 दिसंबर 2014	कम्यूनिटी हॉल बजरंगपूरा	अनुपा	21	राखी नगर,गंगा बाग व प्रिन्स नगर
युवा कार्यशाला 5	18 मई 2015	कम्यूनिटी हॉल बजरंगपूरा	संदीप नाईक एवं मेघा नामदेव	24	जगदीश नगर,राम नगर ,गंगा बाग व प्रिन्स नगर
युवा कार्यशाला 6	24 मई 2015	रहबर हॉल ,खजराना	मेघा नामदेव	18	अशरफी नगर व श्शेहराब बाग
युवा कार्यशाला 7	31 मई 2015	बजरंग नगर कम्यूनिटी हॉल	मेघा नामदेव	19	बजरंग नगर व सूर्यदेव नगर
युवा कार्यशाला 8	7 जून 2015	रहबर हॉल ,खजराना	मेघा नामदेव	18	गुरू नगर व हीना पैलेस
युवा कार्यशाला 9	21 जून 2015	गणगौर नगर	मेघा नामदेव	21	एकता नगर व गणगौर नगर
युवा कार्यशाला 10	23 अगस्त 2015	माली मोहल्ल	।दनचं – स्वामदकतं	26	माली मोहल्ला व हम्माल कालोनी
युवा कार्यशाला 11	23 अगस्त 2015	शिवनगर	मेघा नामदेव	35	शिव नगर व राम नगर
युवा कार्यशाला 12	20 सितंबर 2015	भील पल्टन कम्यूनिटी हॉल	मेघा नामदेव	21	चौधरी पार्क व मां भगवती नगर
युवा कार्यशाला 13	20 सितंबर 2015	आंगनवाड़ी केन्द्र , कबीटखेड़ी	अंशुल चर्तुवेदी	27	कबीट खेड़ी ईश्वर नगर
युवा कार्यशाला 14	11 अक्टूबर 2015	आंगनवाड़ी केन्द्र के पास,गड़रिया मोहल्ल	अंशुल चर्तुवेदी	25	गड़रिया मोहल्ला व नरवल काकड़

गतिविधी	तारीख़	स्थान	सहजकर्ता	सहभागी	टिप्पणी
यूथ इवेंट-1	10 मई 2015	बजरंग पूरा कम्यूनिटी हॉल	लोकेन्द्र जाधव,वसीम इकबाल व संदीप नाईक	22	अशरफी नगर,शेहराब बाग, ,तपेश्वरी बाग व गुरूनगर,हीना पैलेस
यूथ इवेंट-2	7 जून 2015	न्यू लाईफ स्कूल,मारूति नगर	लोकेन्द्र जाधव , अंशुल चर्तुवेदी व हिमांशु शुक्ला	30	मारूति नगर,गंगा बाग,प्रिन्स नगर,रामनगर व भोलनाथ कालोनी
यूथ इवेंट-3	9 अगस्त 2015	रहबर हॉल	लोकेन्द्र जाधव , अंशुल चर्तुवेदी व हिमांशु शुक्ला	34	अशरफी नगर,शेहराब बाग, ,तपेश्वरी बाग व गुरूनगर,हीना पैलेस
यूथ इवेंट-4	6 सितंबर 2015	सामुदायिक भवन भील पल्टन	लोकेन्द्र जाधव,मेघा नामदेव , अंशुल चर्तुवेदी व हिमांशु शुक्ला	75	अमन नगर,भील पल्टन, चौधरी पार्क ,मां भगवती नगर ,गणगौर नगर व एकता नगर
यूथ इवेंट-5	1 नवंबर 2015	तपेश्वरी बाग	अंशुल चर्तुवेदी व हिमांशु शुक्ला	51	अमन नगर,भील पल्टन, चौधरी पार्क ,मां भगवती नगर ,गणगौर नगर व एकता नगर
यूथ इवेंट-6	23 नवंबर 2015	गांधी हॉल	पूरी प्रोजेक्ट टीम	111	

महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने से संबंधित गतिविधियों का विवरण

गतिविधी	तारीख	स्थान	सहजकर्ता	सहभागी	टिप्पणी
एनीमेटर्स की हिंसा पर प्रशिक्षण	13-15 अक्टूबर 2014	जीवन ज्योति प्रशिक्षण केन्द्र,राड	अनुपा व प्रवीण गोखले	30	
एनीमेटर्स की हिंसा पर प्रशिक्षण 2	16-18 अक्टूबर 2014	जीवन ज्योति प्रशिक्षण केन्द्र,राड	अनुपा व प्रवीण गोखले	34	कुल 81 एनीमेटर्स प्रशिक्षित
एनीमेटर्स की हिंसा पर प्रशिक्षण 3	31 अक्टूबर 2014	सेफ सिटी ऑफिस पालिका प्लाजा	अनुपा	17	
समूह सदस्यों के लिये जी बी वी प्रशिक्षण 1	14-18 जुलाई 2015	बजरंग पूरा कम्यूनिटी हॉल	अनुपा एवं मेघा नामदेव	54	राम नगर व बजरंग पूरा
समूह सदस्यों के लिये जी बी वी प्रशिक्षण 02	27-31 जुलाई 2015	रहबर हॉल खजराना	मेघा नामदेव	27	बाबा मंसब नगर
समूह सदस्यों के लिये जी बी वी प्रशिक्षण 03	3-7 अगस्त 2015	सूर्यदेव नगर	मेघा नामदेव	28	सूर्यदेव नगर
समूह सदस्यों के लिये जी बी वी प्रशिक्षण 04	10-14 अगस्त 2015	माली मोहल्ला	मेघा नामदेव	26	माली मोहल्ला व हम्माल कालोनी
समूह सदस्यों के लिये जी बी वी प्रशिक्षण 05	17-21अगस्त 2015	शिवबाग	मेघा नामदेव	18	शिवबाग
समूह सदस्यों के लिये जी बी वी प्रशिक्षण 06	8-12 सितंबर 2015	भील पल्टन	मेघा नामदेव	18	भील पल्टन
समूह सदस्यों के लिये जी बी वी प्रशिक्षण 07	8-12 सितंबर 2015	छोटी कुम्हारखेड़ी	संदीप नाईक	30	कुम्हारखेड़ी
समूह सदस्यों के लिये जी बी वी प्रशिक्षण 08	22-26 सितंबर 2015	नट कालोनी	अनुपा	30	नट कालूनी
समूह सदस्यों के लिये जी बी वी प्रशिक्षण 09	22-26 सितंबर 2015	गांधी ग्राम	मेघा नामदेव	23	गांधी ग्राम

महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने से संबंधित गतिविधियों का विवरण –जारी

गतिविधी	तारीख	स्थान	सहजकर्ता	सहभागी
समूह सदस्यों के लिये जी बी वी प्रशिक्षण 10	4-8 अक्टू 2015	नरवल कांकड़	मेघा नामदेव	39
समूह सदस्यों के लिये जी बी वी प्रशिक्षण 11	8-12 अक्टू 2015	८ नगर	मेघा नामदेव	32
समूह सदस्यों के लिये जी बी वी प्रशिक्षण 12	24-28 अक्टूबर 2015	गणेशधाम	मेघा नामदेव	16
समूह सदस्यों के लिये जी बी वी प्रशिक्षण 13	27-31अक्टूबर 2015	मां भगवती नगर	मेघा नामदेव	20
समूह सदस्यों के लिये जी बी वी प्रशिक्षण 14	27-31अक्टूबर 2015	अमन नगर	अनुपा ,प्रवीण शिवानी	27
समूह सदस्यों के लिये जी बी वी प्रशिक्षण 15	31 अक्टूबर to 4 नवंबर	अमर पैलेस	मेघा व अनुपा	25
समूह सदस्यों के लिये जी बी वी प्रशिक्षण 16	1-5 नवंबर 2015	ईश्वर नगर	मेघा ,प्रवीण मीनल	15
सहयोगी कौशल प्रशिक्षण 1	14-16 नवंबर 2015	छोटी कुम्हारखेड़ी	अनुपा,मीनल,प्रवीण	40
सहयोगी कौशल प्रशिक्षण 2	16-18 नवंबर 2015	रहबर हॉल	मेघा ,प्रवीण मीनल	35
सहयोगी कौशल प्रशिक्षण 3	17-19 नवंबर 2015	अमर पैलेस	अनुपा ,प्रवीण शिवानी	34

नीतिगत भागीदारी से संबंधित गतिविधियों का विवरण

गतिविधी	तारीख	स्थान	सहजकर्ता	सहभागी	टिप्पणी
सिटी लेवल कार्यशाला पुलिस के साथ	6 नवंबर 2015	ए आई सी टी एस एल ,सिटी बस आफिस	सेफ सिटी टीम	50	
सिटी लेवल कार्यशाला वाहन चालकों के साथ	7 नवंबर 2015	होटल अमर विलास	डॉ. मनीषा तैलंग ,अनुपा व वसीम इकबाल	90	

सेफ सिटी टीम संरचना

क्र.	पद	नाम	कार्यकाल
1	टीम लीडर	प्रीति निगम	सितंबर 14 से अप्रैल 15
2	जेन्डर एक्स्पर्ट	अनुपा मेघा नामदेव बदलाव	सितंबर 14 से दिसंबर 14 जनवरी 15 से आज तक
3	लाइवलीहूड एक्सपर्ट	लोकेन्द्र राव जाधव	अक्टूबर 14 से आज तक
4	माइक्रो फायनेंस एक्सपर्ट	अंशुल चर्तुवेदी	सितंबर 14 से आज तक
5	लीगल एक्सपर्ट	रिक्त	सितंबर 14 से आज तक
6	काउंसलर	रजनी जैन	सितंबर 14 से आज तक
7	सामुदायिक कार्यकर्ता	संगीता जोशी	सितंबर 14 से आज तक
8	सामुदायिक कार्यकर्ता	कीर्ति दीक्षित	सितंबर 14 से आज तक
9	सामुदायिक कार्यकर्ता	प्रीति सागोरे	सितंबर 14 से आज तक
10	सामुदायिक कार्यकर्ता	ललित काटोलकर	सितंबर 14 से आज तक
11	सामुदायिक कार्यकर्ता	विनोद नाहर	सितंबर 14 से आज तक
12	सामुदायिक कार्यकर्ता	सुनिता कोचले बदलकर श्रीराम मालसे	सितंबर 14 से फर 15 मार्च 15 से आज तक
13	सामुदायिक कार्यकर्ता	सतीश सितोले बदलकर आशीष मौर्य	सितंबर 14 से जन 15 फरवरी 15 से आज तक
14	सामुदायिक कार्यकर्ता	सुनिता रायकवार बदलकर अशोक पटेल	सितंबर 14 से फर 15 मार्च 15 से आज तक
15	सामुदायिक कार्यकर्ता	गोरू वास्कले बदलकर रश्मि गहलोत	सितंबर 14 से मई 15 जून 15 से आज तक
16	सामुदायिक कार्यकर्ता	सीमा परमार बदलकर सरिता जाधव	सितंबर 14 से फर 15 सितं15 से आज तक
17	सामुदायिक कार्यकर्ता	नीलेश शिन्डे बदलकर कामिनी सागोरे	सितंबर 14 से जून15 सितं15 से आज तक

Media clipping

नईदुनिया

महिलाएं सीधे 'मुख्यमंत्री' से करवा रहीं बस्ती के काम

इन्दौर, 11 दिसम्बर 2014

महिलाओं के प्रति सोच बदलनी होगी-महापौर

हैलो हिन्दुस्तान

महिला हिंसा रोकने मानव श्रृंखला बनाई

नईदुनिया

पर्पल गैंग से मिला लंदन का डीएफआईडी दल

महिलाओं पर जुल्म रोकने के लिए बनाई पर्पल गैं

नईदुनिया

नारी शक्ति को सलाम

इंदौर की एक बस्ती, जहां अपराध के खिलाफ चलती है 'बिंदिया गैंग'

परियोजना प्रगति पत्रक

सितंबर 2014 से दिसंबर 2015

सुरक्षित शहर के लिये एक पहल– एम पी यू आई आई पी का कार्यक्रम

द्वाराः

भारतीय ग्रामीण महिला संघ – बी.जी.एम.एस.

एवं

पहल जन सहयोग विकास संस्थान – पहल